[Shri Parvathaneni Upendra]

case, Government has not even tried to mobilise public opinion, world opinion. They have not raised it in the international fora....

MR. CHAIRMAN: The House is now adjourned and we will meet again at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at twenty-six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, the Deputy Chairman in the Chair.

RESOLUTION RE NEW SUGAR POLICY—Contd.

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, 24 अप्रैल, की राष्ट्रीय चीनी नीति के विषय में एक महत्वपूर्ण चर्चा प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के माध्यम से श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने उपस्थित की थी और उस दिन समय पूरा हो जाने के कारण मुझे अधूरी चर्चा समाप्त करनी पड़ी थी । आज आपने मुझे दुबारा बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चीनी नीति के विषय में हमारे भारतवर्ष में हमने जिस प्रकार से हर क्षेत्र में तरक्की की है और खास करके खाद्यान्न के मामले में, अनाज के बारे में, हम परिपूर्ण हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में चीनी, दालों और तेल की कमी है और इनमें से हमें चीनी और इडिबल आयल आज भी इम्पोर्ट करना पड़ता है । इसके लिए हमें भारी मात्रा में फारेन एक्सचेंज देना पड़ता है । मैं नेशनल शगर पालिसी के बारे में यह कहना चाहूंगा कि इसमें जो बदल किया गया है, यह बदल हमारे किसानों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है । मेडम, आप भी महाराष्ट्र के उस क्षेत्र से आती हैं जहां पर शुगर इंडस्ट्रीज बहुत हैं । हमारे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर 34 परसेन्ट अकेले शुगर का उत्पादन होता है । इस देश में 34 परसेन्ट चीनी का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र प्रदेश करता है । लेकिन आज महाराष्ट्र की 56 कोआपरेटिव फैक्टरीज के प्रोपोजल्स केन्द्रीय सरकार के पास पेंडिंग हैं । जो नयी नीति बनी है उस नयी नीति के कारण हमारे सभी प्रपोजल्स तकलीफ में आ गये हैं । किसान भाइयों ने बड़ी तकलीफ के साथ एक करोड़ रुपया शेयर कैपिटल जमा किया है लेकिन आपकी नयी नीति के कारण यह शेयर कैपिटल 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपया कर दिया गया है । इसके अलावा इसमें है कि आपका जो एरिया है वहां शुगर फैक्टरी के पहले वहां एक लाख टन गन्ना होता था इसका सर्टिफिकेट लाइये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार की इंडस्ट्री आती हैं, इस प्रकार की शुगर फैक्टरी आती हैं, उसके आने से दो साल पहले किसान गन्ना लगाते हैं । लेकिन जहां शुगर फैक्टरी का पता ही नहीं है वहां एक लाख टन गन्ने के होने का सर्टिफिकेट मांगना यह गलत नीति है और इसके कारण कोआपरेटिव सेक्टर में और खासकर हिन्दुस्तान के दो प्रांत, महाराष्ट्र और गुजरात जिन्होंने चीनी के मामले में काफी तरक्की है इनके संबंध में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस देश में 1983–84 में शुगर का उत्पादन 50 लाख टन था जो 1984–85 में बढ़कर 61.43 लाख टन हुआ है और 1985-86 में वह और बढ़ कर 70.30 लाख टन हुआ, जब कि हमारी शुगर की खपत 1984–85 में 80.92 लाख टन थी, जो 1985–86 में बढ़कर 82.33 टन हो गई । इस प्रकार से 1985–86 में हमें करीब 13 लाख टन शुगर का आयात करना पड़ा और 1984–85 में करीब 20 लाख टन हमको बाहर से मंगानी पड़ी और इसे हमने एफ० सी० आई० के माध्यम से मंगाया । सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर एफ० सी० आई० के माध्यम से शुगर इम्पोर्ट की । एक तरफ हमारी सरकार फारेन एक्सचेंज बचाना चाहती है और दूसरी तरफ चीनी का इम्पोर्ट करती है । अगर हमें अपनी फारेन

एक्सचेंज को बचाना है तो हमें चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये देश में एक ऐसी नीती बनानी होगी जिसके माध्यम से इस देश के किसान अपने खेतों में अधिक से अधिक गन्ना लगायें और हर प्रान्त में कोआपरेटिव के माध्यम से शुगर इंडस्ट्रीज सामने आयें । मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो हमारी मनी क्राप्स होती हैं उसमें गन्ना और कपास प्रमुख हैं । विदर्भ और नागपुर में कपास बड़े पैमाने पर होता है । लेकिन जब से पोलियेस्टर मार्केट में आया है तब से कपास के दाम कम हुये हैं और कपास पैदा करने वाले तकलीफ में आये हैं । ऐसे किसान अब कपास को छोड़कर शुगर केन की तरफ जा रहे हैं । लेकिन विदर्भ के 12 प्रपोजल केन्द्रीय सरकार की नीति बदलने की वजह से पेंडिंग हैं, महाराष्ट्र के 35 मामले पेंडिंग हैं । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप लाखों टन शुगर का आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सरकार की नीति है वह नीति कोआपरेटिव्स के लिये हानिकारक है । इस में प्राइवेट सेक्टर को फायदा है । इसलिये नीति नीति को आपको बदलना चाहिये ।

दूसरी बात में आपसे कहना चाहता हूं कि दिन प्रति दिन शुगर की डिमांड बढ़ती जा रही है । गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक, हर व्यक्ति चीनी खाता है, मिठाई खाता है और हर एक के लिये वह रोजाना की जरूरत हो गई है और वह उसका उपयोग करता है । इस वर्ष चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा ऐसा सरकारी आंकड़ों से लगता है । एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एफ०सी०आई० ने ज्यादा से ज्यादा शुगर इंपोर्ट करके जनता की जितनी आवश्यकता थी उतना देने की कोशिश की है और इसी के साथ-साथ अकेले महाराष्ट्र की जो 56 शुगर फैक्टरीज हैं जिनमें 24 लाख टन शुगर का निर्माण किया है । अगर 56 और नयी शुगर फैक्टरीज हमारे यहां आती है तो अकेला महाराष्ट्र, इस देश में शुगर की जितनी खपत है उसकी 50 से 60 प्रतिशत जरूरत जो चीनी की है वह अकेला महाराष्ट्र पूरा कर सकता है । इसलिये इस विषय में सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये ।

अगली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में ऐसे कई प्रांत हैं जहां हमारी कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्री आज तकलीफ में आई हुई है । खास कर के मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा । महाराष्ट्र में जो नयी शुगर फेक्टरीज लगाने के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं लेकिन पुरानी इंडस्ट्रीज ने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया, ब्याज की रकम बकाया है इसलिये स्टेट की सभी नयी यूनिटस को फाइनेंस सरकार ने बन्द कर दिया है । यह गलत है । इसके लिये सरकार अवश्य विचार करे । हमारे जो राज्य मंत्री हैं फूड एंड सिविल सप्लाइज विभाग के यह महाराष्ट्र से आते हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनको कोआपरेटिव में लाइसेंस चीनी मिलें शुरू करने के लिये दिये जा चुके हैं उनका लोन रूक गया है इसलिये उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करें । हमारे जो गन्ना उत्पादक हैं और चीनी उपभोक्ता हैं तथा चीनी की जो मिलें हैं तीनों का जब तक समन्वय नहीं होता तीनों जब तक एक साथ नहीं चलते तब तक हम चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं । इसलिये हमें यह देखना है कि चीनी की फेक्टरीज भी चलती रहें, उपभोक्ताओं को चीनी उचित दाम में मिले, साथ ही साथ गन्ना उत्पादकों को भी गन्ने का उचित दाम मिले । गन्ना उत्पादकों खास कर के हमारे किसान भाईयों को 1977 से लेकर 1980 तक जब जनता सरकार के समय में चीनी की पालिसी बदली गई थी उस गलती की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी तथा खेत में खड़े हुये गन्ने को आग लगा देनी पड़ी थी क्योंकि उस वक्त किसान को यह लगता था कि गन्ना काट कर यदि फेक्टरी में ले जायें तो उसकी मजदूरी की कीमत भी वसूल नहीं होगी । इसलिये किसान भाइयों को उन तीन सालों में खेत में खड़े हुये गन्ने को जला देना पड़ा उसी के कारण आज देश में चीनी की तकलीफ और कमी महसूस हो रही है । आज जो पालिसी बदली गई है मैं

[श्री नरेश सी० पुगालिया]

यह कहना चाहता हूं कि उसमें भी ज्यादा तकलीफ की नौबत आ सकती है। इसी प्रकार से हमारे जो यू०पी० और बिहार के किसान भाई हैं जिनको गन्ने के बकाया का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है वह जल्दी से जल्दी सरकार उनको दिलाने के लिये विचार करे और कार्यवाही करे। अभी जो सरकार ने 25 रुपये सपोर्ट प्राइस तय किया है उसके लिये मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूं साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यू०पी० और बिहार में जो गन्ने की क्वालिटी है वह महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा होने वाले गन्ने की तुलना में उसका आऊट-पुट भी कम है और रिक्वरी भी कम होती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि साइंस और टेक्नोलोजी के युग में रिसर्च एवं डिवलपमेंट के माध्यम से अच्छी से अच्छी क्वालिटी और वेराइटी और अधिक से अधिक ईल्ड देने वाले गन्ने की वेराइटी निकाल कर यू०पी० और बिहार में आप देने की कोशिश करें। आज जो हमारे देश में गन्ने का उत्पादन होता है उसमें 65% गन्ना हमारा खांड-सारी मिलों को जाता है और सिर्फ 35 प्रतिशत गन्ना हमारी चीनी मिलों को जाता है। जब तक हम गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारे देश में चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है और खास कर के एक तरफ सरकार चाहती है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ें। अगर गन्ने का उत्पादन ज्यादा बढ़ता है उससे भी चीनी की खपत जितनी देश में है उसका उतना निर्माण हम कर सकेंगे। चीनी के इलावा गन्ने के छिलके से आज पेपर तैयार करने के उद्योग लग रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एक ऐसी ही पेपर मिल आ रही है। इसलिये हम एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री के रूप में गन्ने के छिलके से पेपर मिलें भी लगा सकते हैं। इस तरह के कारखाने अन्य प्रांतों में भी आ सकते हैं। इसके और भी उपयोग होते हैं। इसलिये हमारी जो चीनी की पुरानी मिलें हैं उनको जब तक सरकार माडर्नाइज करने के लिये भारी मात्रा में कर्ज नहीं देगी तब तक माडर्नाइजेशन का कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने जो फंड डवलप किया है उसमें पुरानी मिलों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज दें इनकी आवश्यकतानुसार कर्ज दें। आज हमारे देश में जितनी चीनी पैदा होती है तथा जो हमारी वितरण प्रणाली एवं परचेज पालिसी है उसमें पहले फ्री सेल में 45% और लेवी के रूप में 55% चीनी दी जाती थी लेकिन हमारी चीनी मिल मालिकों ने कुछ तकरार किया कि इससे कुछ घाटा बढ़ रहा है इसलिये नयी पालिसी में फ्री सेल और लेवी की चीनी को 50–50 प्रतिशत कर दिया गया। यह एक अच्छा कदम केन्द्रीय सरकार ने उठाया है ऐसा मैं मानता हूं। जो फ्री सेल के माध्यम से या लेवी शुगर के माध्यम से वितरण प्रणाली में सरकार ने कंट्रोल कर रखा है उसके कारण देश में चीनी ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर न ब्लैक है न कुछ है। जिस प्रांत में जितनी आवश्यकता होती है चाहे फ्री सेल के माध्यम से जाये या लेवी शुगर के माध्यम से, गवर्नमेंट कंट्रोल होने की वजह से उन–उन प्रांतों में आवश्यकतानुसार उतनी भेज दी जाती है। इसके लिये भी सरकार की पालिसी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। दूसरा, सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिये तीन लाख टन की जो बढ़ोतरी की है, उसमें जो कोटा बढ़ाया है कंज्यूमर्स के लिये उसके लिये भी मैं केन्द्र सरकार का स्वागत करता हूं।

एक चीज और कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने नयी स्कीम, नयी पालिसी के मुताबिक साढ़े 12 सौ टन प्रति दिन की क्षमता को बढ़ाकर जो ढाई हजार टन किया है कोआपरेटिव सेक्टर में ढाई हजार की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से कहना है कि जो एडवांस्ड एरिया है, जो सुधरे हुये हैं जहां 20 साल पहले से शुगर फैक्ट्रीज लग चुकी है वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि बैकवार्ड एरियाज में शुगर फैक्ट्रीज आयें और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसलिये उन लोगों ने अधिकारियों के साथ एक साजिश करके, षडयंत्र करके इस पालिसी को बदलाने में कामयाबी पायी है। मेरी विनती रहेगी कि कोआपरेटिव सेक्टर में जितनी भी फैक्ट्रीज इस देश में किसी भी प्रांत में आती है तो उनकी लिमिट जो साढ़े 1200 टन

की थी वही रखें, आपने जो ढाई हजार लिमिट को बढ़ाया है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में आतीं, जाइंट सेक्टर में आतीं या पब्लिक सेक्टर में आतीं तो आप ढाई हजार से भी बढ़ाकर पांच हजार कर देते लेकिन कोआपरेटिव में जो साढ़े 12 सौ टन है उसको ही कायम रखिए ।

एक चीज मैं और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा । अन्त में वर्मा जी ने इस चर्चा के माध्यम से अपनी स्पीच में एक मांग की थी कि चीनी की नीति के ऊपर एक राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया जाये और जो भी एक्सपर्टस हैं उनको लिया जाये । इसमें किसानों के प्रतिनिधियों को लिया जाये, फैक्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया जाये तथा हमारे दोनों सदनों लोकसभा और राज्य सभा के जो सदस्य इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, किसानों के मामले में उनको लिया जाये और इनके माध्यम से इस नयी नीति पर दुबारा विचार किया जाये । हमारे सिविल सप्लाई के राज्य मंत्री महाराष्ट्र से हैं, हमारी उपसभापति महोदया भी महाराष्ट्र से आती हैं मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि कोआपरेटिव में शुगर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जो हमारी साढ़े 1200 टन की लिमिट है उस लिमिट को कायम रखेंगे । मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि देश के अंदर चीनी का उत्पादन बढ़ाकर देश को चीनी के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए, कोआपरेटिव सेक्टर से चीनी का ज्यादा-से ज्यादा उत्पादन करके किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए आप इस पर अवश्य विचार करेंगे ।
धन्यवाद ।

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया, 1974 में भारत सरकार ने एक शुगर इंडस्ट्रीज इन्क्वायरी कमीशन बैठाया था जिस के चेयरमैन वी० भार्गव थे । सन् 1974 के बाद से कोई बड़े पैमाने के ऊपर फिर से कोई इन्क्वायरी कमीशन बैठा हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । भार्गव कमीशन ने जो अपनी अनुशंसाए दी हैं, प्रारम्भ में मैं थोड़ा सा उनका उल्लेख करना चाहता हूं । पृष्ठ 315 पर उन्होंने लिखा है :

"If the Government gives incentives to induce the factories to perform these tasks, such institutions can serve not only the growers and the labour but can also develop into centres for education and progress of the whole population in the area from which the factories derive their cane."

"At the same time, Government can make deterrent provisions for those who fail to do so, in which case, much better results can be expected."

On page 316 it is written:

"The cultivators have totally lost confidence in the private sector management. This is largely due to irregularities in the weighment of cane and assessment of sugar recovery, delays in payment for cane and inadequate share in the profit earned by the industry."

दो वाल्यम की इतनी बड़ी विशाल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अगर उसी पर सरकार कार्यान्वियन करती, तो जो हमें आज अवस्था देखने के लिए मिल रही है, यह अवस्था दिखाई नहीं देती ।

आश्चर्य लग रहा है कि किन कारणों से आज चीनी का आयात कर रहे हैं । सत्तारूढ़ दल के मित्रों ने भी कहा एक-एक प्रदेश ऐसा है चीनी उत्पादन करने के लिए, किसानों को अगर समुचित सुविधायें प्रदान की जाएं, तो हमको एक कण भी बाहर से चीनी मंगवाने की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन हम मंगवा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाहर से चीनी क्यों मंगवा रहे है ?

मुझे लगता है कि जो बीमारी पकड़े हुये हैं आयात करने की और हर आयात के अन्दर कुछ न कुछ कमीशन, जो एक बार यह प्रवाह गलत चालू हो गया, उसे हम कहीं रोकने के लिये तैयार नहीं हैं।

[श्री कैलाश पति मिश्र]

अगर चीनी आयात न करें तो कौन सा बड़ा संकट होने वाला है और मिनिस्टर साहब नाराज न हों, इसके बारे में समय-समय पर कई नामों का उल्लेख किया गया है, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। देश में काफी हंगामा हो चुका है। मेरी निश्चित धारणा है कि आज अगर चीनी का आयात हो रहा है, तो केवल इस कारण से कि इस आयात के अन्दर कमीशन का भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। इसलिये आयात को हम चलाते चले जा रहे हैं।

महोदया, एक तरफ गल्ला, दूसरी तरफ चीनी, एक तरफ गन्ने का उत्पादन-कर्ता, दूसरी तरफ उपभोक्ता और तीसरी तरफ मिल-मालिक और सरकार, आश्चर्य लग रहा है यह देख कर कि चीनी चाहे सरकारी दुकान से मिलती हो या खुले बाजार से मिलती हो, चीनी का भाव क्या है वह बताने की आवश्यकता नहीं है, सब को मालूम है। लेकिन किसान को क्या दे रहे हैं? किसान को सस्ते दर पर खाद नहीं मिल रहा है, बीज सस्ती दर पर नहीं मिल रहा है, किसान को पानी नहीं मिल रहा है। अच्छी यील्ड, उत्पादन देने के लिये जो साधन चाहिए किसान को—आज भारत का अधिकांश किसान गरीब है, उसे वह साधन नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी जो गन्ना उत्पादन करता है, उसे क्या प्राप्त होता है?

आंकड़े हैं बिल्कुल—एक क्विंटल ईख की पेराई में से साढ़े नौ किलो चीनी प्राप्त होती है, एक क्विंटल गन्ने में से साढ़े नौ किलो चीनी, साढ़े चार किलो सीरा और सीरा और चीनी निकाल लेने के बाद भी पता नहीं, अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग शब्द होगा, जिसे खोई कहते हैं, खट्टल कहते हैं उसकी भी कीमत होती है और उसका भी प्रयोग होता है, सब मिला कर अगर जोड़ करें, साढ़े नौ किलो चीनी की कीमत, साढ़े चार किलो सीरे की कीमत, लगभग 31-32 किलो खोई और दिखने में उस घास के भूसे की कीमत एक तरफ उसकी कीमत जोड़ दें और दूसरी ओर जो इसका जन्मदाता है अगर खेत के अन्दर ईख न हो, तो चीनी के कारखाने कहीं चलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो चीनी का उत्पादनकर्ता है, उसको क्या मिल रहा है?

हम सर्कस करते हैं, स्टेट्यटरी प्राईस तय करते हैं कभी साढ़े सोलह रुपये, कभी सतरह रुपये और कभी अठारह रुपये क्विंटल। क्या कभी हिसाब लगा कर देखने की कोशिश की है कि एक क्विंटल गन्ना पैदा करने में एक किसान को कितना परिश्रम करना पड़ता है और कितनी उसकी लागत आती है? शारीरिक परिश्रम छोड़ दीजिये, दुर्भाग्य से, आज इस देश में किसानों के शारीरिक परिश्रम का आंकलन किसी स्तर पर नहीं हो रहा है, लेकिन जो पानी पर खर्च हो रहा है, खाद डालने में खर्च आता है तथा जो बीज के लिये खर्च आता है उसकी जितनी मजदूरी है, वही इसकी हो जाती है। कि ईमानदारी से जोड़िए तो 30 रु० से लेकर 35 रुपये क्विंटल, एक क्विंटल ईख पैदा करने के बाद आज जो उसके ऊपर खर्च पड़ता है, आप कीमत क्या तय कर रहे हैं और किस आधार पर कीमत तय कर रहे हैं? मैं तो मांग कर रहा हूं कि 35 रु० क्विंटल से नीचे ईख की कीमत होनी ही नहीं चाहिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर यह 40 रु० तय की जाए। तभी देश के गन्ना उत्पादक किसानों के साथ न्याय होगा। आपने कानून तो बना दिया कि समय पर हर किसान को पैसा मिल जाए, लेकिन कभी आपने इसके बारे में छानबीन करने की कोशिश की है? बिहार के अन्दर सकरी गन्ना मिल है वह सरकारी मिल है। साढ़े छः सौ किसानों की ओर से पटना हाई कोर्ट में जाना पड़ा तब कहीं जाकर किसानों को पैसा मिला है। एक-एक चीनी मिल के अन्दर आज आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि लाखों नहीं, करोड़ों रुपया वर्षों से बकाया पड़ा हुआ है। किसानों की हालत खराब है और उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। सर्कुलर के अन्दर

दिया हुआ है कि जिस दिन मिल के दरवाजे पर किसानों की ईख आ गई अगर उस दिन पेमेंट नहीं हुई तो 14 दिन के बाद जितने रुपये गल्ले की कीमत है उसे सूद के साथ चुकाना पड़ेगा। एक तो किसान नियमों से बहुत ज्यादा *अदगत नहीं है फिर कौन सा ऐसा बंधन है* जो कि सूद के साथ उसको रुपया दिला सके ? बहुत बड़ी धांधली हो रही है, जहां तक कि सरकारी क्षेत्रों में, सहकारी क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों में जा करके और जांच करके भागर्व कमीशन ने रिपोर्ट में बताया है कि सब तरफ एक ही प्रकार की लापरवाही चल रही है, एक ही प्रकार की मनमानी चल रही है और एक ही प्रकार से किसानों के साथ अन्याय चल रहा है। थोड़ी सी डिग्री का कहीं-कहीं अन्तर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है। आश्चर्य लग रहा है कि लगभग एक-एक वर्ष के अन्दर साढ़े तीन सौ करोड़, चार सौ करोड़ की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हम बाहर से चीनी आयात करने के लिए खर्च कर रहे हैं। आज एक बहुत मजेदार बात है उसमें जितना गन्ना होता है गन्ने से चीनी बनाने का जो अंश है वह 30–35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। जितनी देश के अन्दर गन्ने की फसल पैदा होती है वह पूरी की पूरी चीनी में बदली नहीं जा रही है और मुश्किल से 30 से 35 प्रतिशत गन्ना ही चीनी बनाने में उपयोग हो रहा है। बाकी कहीं खंडसारी में, गुड़ में और अन्य कामों में चला जा रहा है। अगर हमारे यहां चीनी कम पड़ रही है, हमारे उपभोग के लिए अगर चीनी कम पड़ रही है तो हम इसकी पूर्ति के लिए कौन सा रास्ता निकाल रहे हैं ? यही एक रास्ता है कि विदेशों से आयात करो ? साढ़े तीन सौ, चार सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा इसके लिए खर्च करें। क्यों ऐसी इच्छा होती है कि गन्ने से गुड़ बनाएं, खांडसारी बनाएं लेकिन चीनी मिलों में अपना गन्ना नहीं पहुंचाएं ? कारण यह है कि सब के ऊपर सरकार का जो कुछ भी नियंत्रण करने का अधिकार है, मोनिटरिंग करने का अधिकार है, चाहे वह सरकारी गन्ने का मिल हो, निजी क्षेत्र का हो या सहकारी क्षेत्र का हो, नियन्त्रण करते समय, मोनिटरिंग करते समय पहला यह विचार होना चाहिए था कि किसानों को जो उपलब्धि होनी चाहिए वह हो रही है या नहीं ? किसानों को जितनी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए थीं वे सुविधाएं मिल रही हैं, जो सहायता मिलनी चाहिए वह क्या मिल रही है ? अब भागर्व महोदय ने रिपोर्ट तय किया कि मिलों को बाध्य करना चाहिए कि उन्हें केवल गन्ने की कीमत नहीं देनी है, बल्कि जिस क्षेत्र से गन्ना आ रहा है, वह जिस कमांड एरिया से आ रहा है वहां खेतों को पानी मिलता है या नहीं, यह देखना कारखाने का दायित्व है। किसानों को खाद मिलती है या नहीं यह देखना भी कारखाने का दायित्व है। इतना ही नहीं वहां स्वास्थ्य के लिए कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा ? बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा ? भरपेट भोजन वहां के गरीबों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा ? यह देखने का दायित्व और करने का दायित्व भी कारखानों के मालिकों के ऊपर सौंपा जाय। *यह भार्गव कमीशन की अनुशंसा है।* जब अनुशंसा है, तो क्यों नहीं लागू हो रही है। सरकार इतनी असहाय बनकर क्यों बैठी हुई है ?

महोदया, मैं कहता हूं कि बने हुए नियम और देश के अदर उपज होने वाला गन्ना, दोनों का हिसाब ठीक से बैठा दें तो केवल 30–35 प्रतिशत गन्ना ही जाकर कारखाने में चीनी के रूप मे बदलता है और अगर चीनी की आवश्यकता है और गन्ना कारखानों में चीनी फेक्टरी में, कारखानों में जाय यह उत्साह किसान के अंदर जागे, आज इसकी आवश्यकता है। मिलों की हालत भी बहुत ही खराब दिखाई दे रही है। सारी रिपोर्ट पोथे के पोथे भरे हुए हैं। एक निजी क्षेत्र में, चाहे वह बिरला की मिल हो, चाहे डालमियां की हो, चाहे मोदी की हो या किसी की भी हो, महोदया, मैं बिहार से आता हूं, बीसियों सुगर कारखानों

[श्री कैलाशपति मिश्र]

में आज ताला लगा हुआ दिखाई देता है। जब तक मशीन लाभ ज्यादा दे रही है, तब तक एक प्रकार से फेक्टरी को चूसना, जिसको कहते हैं, वह चूसने का काम हो रहा है। किसी स्तर के ऊपर सरकार ने अंकुश नहीं रखा, कारखाने पुराने न पड़ें, वह नाकाम न बनें, पुर्जा अगर घिस गया है तो कहीं पर उसको बदलें। कारखाना अगर मुनाफा ज्यादा दे रहा है, कारखाने ज्यादा मुनाफा ले चुके हैं, कारखाने की जवानी अगर ढलने लगी तो वह नाकाम न बने, उस पैसे में से उसके नवीनीकरण के लिए, उसके मेंटीनेंस के लिए खर्च हो, यह देखने का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए। उनकी तरफ इस वक्त काफी लापरवाही दिखती है। एक चीनी कारखाना बैठाया, 10 साल मुनाफा लिया, दूसरी जगह जाकर उसी मुनाफे से खेती का कारखाना लगाया या दूसरी जगह जाकर तीसरा कारखाना लगाया और पुराने पड़ते जाते को श्मशान घाट के नजदीक पहुंचाते गए उसको मरने के लिए सब प्रकार से छोड़ते चले गए। इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं फिर जोर देकर के मांग करना चाहता हूं कि पहली घोषणा तो करिए कि किसी भी किसान को इस समय 35/- रुपए क्विंटल से कम गन्ने की कीमत नहीं मिलेगी और दूसरा जो हमारे आदरणीय वीरेन्द्र जी ने कहा है, निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता है। लेकिन उस राष्ट्रीय आयोग के अन्दर प्रभाव किसका हो, किसकी वाणी उसके अंदर मुखरित हो, इसका ध्यान रखना है तो नीचे से विचार करना होगा, किसानों का प्रतिनिधि, कारखाने चलाने वालों का भी प्रतिनिधि, कारखाने के अंदर काम करने वाले मजदूरों का भी प्रतिनिधि और सरकार का भी प्रतिनिधि रहे, विशेषज्ञ उसमें रहे। इतना ही आग्रह करके मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि है तो यह नोन-आफिसियल बिल, लेकिन अपने लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि अगर देशहित में, जनहित में कदम रहा हो तो उसको स्वीकार करने में सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं...

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि आज सदन का आखरी दिन है और जो रेजोलूशन है अगर उसका जवाब नहीं दिया गया तो लेप्स हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस चीज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें कुछ समय का बंधन हो ताकि इसका जवाब भी हो सके। इसमें अभी और भी हैं बहुत से वक्ता बोलने वाले।

उपसभापति : जब आपका वक्त आएगा तो आप भी ध्यान रखना।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : नहीं, आप यह घंटी नहीं बजाती रहीं तो हम बोलते ही रहते हैं। आपके हाथ में हमारी घंटी है।

श्री कैलाशपति मिश्र : महोदया, अब मैं अपना समय छोड़ रहा हूं, जाधव जी को वह आप दे दें। तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हो। इन्हीं शब्दों के साथ जो अंत में आग्रह कर रहा था कि सरकार को कभी-कभी गैर सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि मैं सरकार से आग्रह करूंगा सरकार इसको मान ले।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : माननीया उपसभापति जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि अंग्रेजी की अपेक्षा मैं अपने प्रदेश की भाषा गुजराती में अपना वक्तव्य दूं। यह महात्मा गांधी जी की मातृ भाषा भी रही इसलिए मैं अपना वक्तव्य गुजराती में ही देना चाहूंगा।

* सम्माननीया उपसभापति जी, सम्माननीय श्री वीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा पेश

* गुजराती में दिये गये मूल भाषण का हिंदी रूपान्तर।

किये गये प्रस्ताव के कुछ अंश के साथ मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं तथा गन्ना उत्पादक किसानों को अपने उत्पादन का पूरा-पूरा लाभ मिले इस लिए अपनी मांग को मैं दुहराता हूं । देश को, चीनी उद्योग की ओर से प्रति वर्ष चार सौ करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त है तथा यह उद्योग देश के करीब साढ़े तीन लाख मेहनत कश लोगों को रोजगार प्रदान करता है । 1981 से 1984 की अवधि में चीनी उद्योग को करीब 800 करोड़ रुपये की हानि हुई है । देश में 1973-74 से 1985-86 के दौरान चीनी के मूल्य में 90 प्रतिशत तथा अन्य चीजों के मूल्यों में 156 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में प्रति क्विंटल 200 से 250 डालर तक की वृद्धि हुई है। जब कि हमारे देश में चीनी की खपत की दर जो 1970 में 4.8 प्रतिशत थी वह बढ़ कर आज 10 प्रतिशत हो गई है । अतः आज देश की चीनी की मांग की पूर्ति के लिये उसका उत्पादन अपर्याप्त है । जिसके कारण आज देश को अपनी मंहगी विदेशी मुद्रा का खर्च चीनी के आयात पर करना पड़ रहा है । वैसे तो चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के हिसाब से भारत में चीनी अधिक सस्ती है, जैसे फिनलैण्ड में एक किलो चीनी का मूल्य 20.75 रु० जापान में 19.26 रु० तथा भारत में केवल पांच रु० के आसपास है।

माननीय उपसभापति महोदया, आज हमारे देश में चीनी का उत्पादन करीब 362 चीनी मिलें करती हैं। जिस में 191 सहकारी क्षेत्र में, 105 संयुक्त क्षेत्र में तथा 66 निजी क्षेत्र में हैं । चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये तथा उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलाने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न स्वागत योग्य तो हैं, लेकिन अपर्याप्त भी हैं । इस के बारे में समय-समय पर विभिन्न समितियों ने अपनी सिफारिशें सरकार के सामने रखी हैं। मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि प्रत्येक राज्य में कृषि के लिये मौसम विभिन्न राज्यों के बीच फसल संबंधी असमानताओं तथा विशेषताओं पर विचार करके एक दीर्घकालीन चीनी नीति पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है । सामान्यतया किसानों को अपनी कृषि में प्रति तीन वर्षों में एक ही वर्ष लाभप्रद होता है । ऐसे हालात में कृषि उत्पादन के समर्थन मूल्यों को निर्धारित करते समय किसानों द्वारा इन वर्षों में किये गये उत्पादन खर्च तथा आय को ध्यान में रखना चाहिये । गन्ने की फसल को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिये अभी और शोध-अनुसंधान की आवश्यकता है तथा उस के लिये उस से पहले हमें हमारा आधारभूत ढांचा भी बदलना पड़ेगा ।

महोदया, कई राज्यों में क्षेत्रीय विकास परिषदें हैं, जो उपकर में से प्रति क्विंटल 25 पैसे सड़कों तथा सिंचाई की सुविधा के लिए खर्च करती हैं जो अत्यंत अपर्याप्त है । उसे बढ़ाया जाना चाहिए । महोदया, 1985 में सेन जांच समिति ने इसके लिये राज्यों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया था । मेरा सुझाव है कि प्रति वर्ष इस तरह की विकास योजना में दस प्रतिशत नये क्षेत्र को सम्मिलित करते रहना चाहिये ।

महोदया, 1985 में रिजर्व बैंक ने चीनी उद्योग की रुग्णता के लिये गन्ने के मूल्य में असमानता तथा उत्पादन खर्च में असमानता समेत चीनी उद्योग में उपयोग में लाये जाने वाले पुराने यंत्रों तथा अधिक मानव-शक्ति के उपयोग को जिम्मेदार बताया था । महोदया, यहां पर यह बताना आवश्यक होगा कि, आज भी देश की 170 चीनी मिलों में 25 साल पुराने यंत्रों का प्रयोग होता है । इस समय महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में गन्ना उत्पन्न किया जाता है । बिहार में प्रति हैक्टेयर 34 टन गन्ना पैदा किया जाता है। जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा 100 टन का है । गुजरात में भी दक्षिण गुजरात का आंकड़ा अधिक है जबकि सौराष्ट्र में नहीं के बराबर है । इसका कारण गन्ने पर रोग तथा कीड़े का प्रभाव, सिंचाई की सुविधा का अपर्याप्त होना तथा अधिक

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

उत्पादन देने वाली किस्मों का अभाव है। जिसके कारण चीनी का उत्पादन भी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 48 प्रतिशत था, जो घटकर 24 प्रतिशत रह गया है। तथा बिहार में 44 प्रतिशत था, उससे घटकर बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गया है। महोदया, इसके लिये सहकारी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के बीच विद्यमान असमानतायें जिम्मेदार हैं। चीनी की वसूली की मात्रा बढ़ानी आवश्यक है, गन्ने को काटने के बाद फौरन उसकी पिराई होना भी आवश्यक है। उसके लिये मिल तथा खेतों के बीच की दूरी कम करने तथा माल का शीघ्रता से परिवहन करने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन हो रहा है, उनमें फसल की अति व्याप्ति न हो, इसके लिये प्रत्येक भाग को विभिन्न जोनों में विभाजित करने की मांग करता हूं। महोदया, गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग आज विभिन्न मंत्रालयों में विभाजित हैं, जैसे यह हैं, खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, उर्वरक, कृषि और रसायन। इससे नुकसान हो रहा है। कई बार आवश्यक निर्णय लेने में भी विलम्ब होता है। आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जैसे चीनी मीठी है, उसी के अनुरूप चीनी नीति को भी मीठी बनाया जाये। तथा चीनी उत्पादकों के लिये लाभदायक नई नीति बनाई जाये। मैं एक मांग यह भी करूंगा कि जिस प्रकार कपड़ा उद्योग को एक ही मंत्रालय के अधीन रखा गया है, उसी प्रकार चीनी उद्योग को भी एक ही मंत्रालय के अधीन रखा जाये। महोदया, एक असंगति यह भी है कि चीनी उद्योग पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दर से कर वसूल किया जाता है। उसमें एक रूपता लानी चाहिये। माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा गुजरात के प्रति भी उनके हृदय में प्रेम है। अतः मैं आशा करता हूं कि वे गुजरात तथा महाराष्ट्र के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे तथा किसानों के हित में कुछ लाभदायक कदम उठायेंगे।

गन्ने के चार उप उत्पाद हैं, (1) चीनी, (2) शीरा, (3) खोई और (4) छिलके। इनमें से शीरा का मूल्य चीनी मिलों के लिये 6 रूपये तथा खाण्डसारी के लिये 180 रूपये से 200 रूपये प्रति क्विंटल लिया जाता है। जिससे गन्ने का स्थानान्तरण भी इन क्षेत्रों में किया जाता है। शीरे का औद्योगिक मद्यसार के लिये उपयोग 50 प्रतिशत से भी कम है, जबकि पीने योग्य शराब के लिये शीरे का उपयोग अधिक होता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर इन दोनों में कोई तालमेल रखा जाता है तो शीरे के उपयोग को अधिक फायदेमन्द बनाया जा सकेगा। महोदया, गन्ने की खोई से कागज बनाया जाता है। आज कागज की पूर्ति के लिये हमें कागज का आयात करना पड़ता है। महोदया, बिहार में आज गन्ने की खोई का भाव प्रति क्विंटल 25 रू० से अधिक है। जो गन्ने के मूल्य से अधिक आय देता है। इस खोई का उपयोग कागज मिलों में हो तथा उसे वैज्ञानिक तरीके से काम में लाया जा सकें, इसके लिये व्यापक आयोजना की आवश्यकता है। इसी प्रकार गन्ने के छिलकों से पशुओं के लिये उत्कृष्ट चारा तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया अभी मंथर गति में चल रही है। इसी की गति में तेजी लाना आवश्यक है। महोदया, चीनी उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व प्रदान करके प्रत्येक पहलू के विकास हेतु ध्यान देने के लिये मैं सरकार से हार्दिक अनुरोध करता हूं।

मैं अपना अन्तिम विचार व्यक्त करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों को लाभ दिलाने के लिये इस पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्ने के मूल्य में प्रति वर्ष प्रति क्विंटल पांच रूपये की वृद्धि करें।

किसानों के समर्थन मूल्य के रूप में दी गई वृद्धि अपर्याप्त है। मैं मानता हूं कि समर्थन मूल्य 30 से 40 रू० प्रति क्विंटल होना चाहिये। शीरे की

नीति में तथा लेवी की नीति को भी अधिक उपयुक्त बनाना आवश्यक है। उसी तरह वर्षों पुरानी मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिये सघन कार्यक्रम हाथ में लेना आवश्यक है तथा 300 करोड़ रू० का जो चीनी विकास कोष है उसका उपयोग वैज्ञानिक तरीके से करने के लिये मेरा खास अनुरोध है।

महोदया, आज सहकारी चीनी मिलों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये 51 से अधिक आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं उनमें से एक मेरे जिले साबरकांठा से भी है, जिसे शीघ्र ही मंजूरी देने के लिये सरकार से अनुरोध करता हूं।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि प्रस्ताव में जो 2500 टन की पिराई क्षमत रखी गई है, उसके बजाय 1500 से 1800 टन की अधिकतम सीमा नये चीनी उद्योग के लिये पर्याप्त होगी।

महोदया, मैं सरकार और मंत्री जी को गुजरात और महाराष्ट्र के चीनी उत्पादकों की ओर से अभिनन्दन करना चाहता हूं। वर्षों से गुजरात और महाराष्ट्र चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। उनकी ओर से मांग की थी कि उन को विभिन्न जोनों में विभाजित किया जाये। यह मांग इसलिय थी कि जसे गुजरात में दक्षिण गुजरात तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में गन्ना पैदा किया जाता है। दक्षिण गुजरात में पानी तथा सिंचाई की सुविधायें अधिक होने से वहां पर उत्पादन खर्च कम लगता है। जब कि सौराष्ट्र क्षेत्र में पानी तथा सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने से उत्पादन खर्च अधिक आता है। इस असमानता को दूर करने के लिये जब सरकार के पास बार-बार मांग की गई तो सरकार ने इन बातों को ध्यान में रख कर किसानों के हित में विभिन्न जोनों को बनाया। इसलिये मैं सरकार तथा मंत्री जी को बधाई देता हूं।

किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिय तथा चीनी उद्योग को और विकसितकरने के लिये सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे। आज हमारे पास हमारी आपूर्ति के लिये भी पर्याप्त चीनी नहीं है। उसकी पूर्ति के लिये अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आगामी कुछ ही दिनों में हम अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकेंगे ही, तथा चीनी का निर्यात कर सकेंगे।

आपने अपने विचार व्यक्त करने के लिये जो समय दिया इस लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश): माननीया उपसभापति जी, अज्ञात कुलशीलस्य: वासोदेया न कस्यचित मार्जरस्ये हि दूषणा हतो गृद्धों जरदगव :।

जिसके कुल कुल का , शील का ज्ञान न हो...

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): मंत्री से शुरू कर रहे हैं?

श्री राम नरेश कुशवाहा: संस्कृत में गाली भी दी जाय, अंग्रेजी में गाली भी दी जाय तो लोग यह समझते हैं कि अच्छी बात कह रहे हैं। इससे अगर आपको भ्रम हो जाय तो मुझे इस पर हैरानी नहीं है।

मान्यवर, जिसके कुल और शील का ज्ञान न हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। नहीं तो इसके कारण उसकी वही दुर्गति होती है जो बिलार को आश्रय देने के कारण बूढ़े गिद्ध की हुई। मैं इस कथा का ज्यादा कहकर इसका विस्तार नहीं करना चाहता लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन लोगोंको खेती का ज्ञान नहीं है, खेत से और किसान से प्यार नहीं है उन को सरकार सौंप कर के जो दुर्गति होनी चाहिए किसानों की वही हो रही है। सरकार कितना जाल-बट्टा करती है इसका एक ही उदाहरण काफी है। हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है कि हम तिहाई खर्च पर, बिजली के एक यूनिट पर जितना खर्च होता है उसका एक बटा तीन दाम लेते हैं किसानों से जबकि वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है। वह किसानों से दुगुना दाम लेती है लागत

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

से । कोई पूछे कैसे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक एग्रीमेंट होता है मिनिमम गारंटी का कि 24 घंटे वह बिजली देंगे । सरकार चिल्ला कर कहती है कि हम 8 घंटे देंगे लेकिन देते कितने घंटे हैं सचमुच वह चार घंटे बिजली देते हैं । 24 घंटे बिजली देने का एग्रीमेंट किया जाता है लेकिन दी जाती है एक तिहाई और एक तिहाई का भी दिया जाता है एक बटा छः । हम से तो उतना दाम लेते हैं जितना बिजली की लागत पर खर्च होता है हम से उतना लेते हैं लेकिन जाल बट्टा कर के कहते हैं कि हम तो आपको एक तिहाई लागत पर देते हैं। ठीक उसी तरह दूसरा जाल बट्टा है खाद्यान्न का। हम से कहते हैं कि आप 162 रु० प्रति क्विंटल गेहूं वसूल करते हैं और राशन की दुकान पर देते हैं 210 रुपये प्रति क्विंटल और उस पर भी घाटा लगता है 1500 करोड़ रुपये का जिसको भरने के लिए आप अनुदान देते हैं । अगर कुल जोड़ लगाया जाए तो ढाई सौ रुपये से कम गेहूं का दाम नहीं पड़ेगा । 162 रुपये में हम से लिया और लगभग 100 रुपये मुनाफा लिया यह जाल-बट्टा नहीं तो और क्या है ? कहते हैं कि हम अनुदान देते हैं गरीबों को खिलाने के लिए तो आखिर यह अनुदान जो देते हैं वह किस से लेकर के देते हैं हम को मिला 162 आप वसूल करते हैं इतना, बनिया को कहते हैं ब्लैक मार्किटियर लेकिन आप तो ब्लैक मार्किटियर के भी दादा हैं। अभी कल ही मैंने बताया था कि 45 करोड़ लोगों के खाने का अन्न कहते हैं कि हमारे गोदामों में सड़ रहा है पैसा नहीं है कि लोग खाएं, जब भरपेट खाएंगे नहीं तो बचेगा ही इसी तरह कपड़े का सवाल है । कपड़ा भी 15 मीटर औसत पड़ता है साल भर में 15 मीटर में वह क्या-क्या बनवाएगा । खेत और किसान की हालत आपने इतनी खराब कर रखी है, जाल-बट्टा बिना रखे हैं कि असलियत का पता नहीं चलता । चीनी का मैं बताऊं। मैं बड़ा ही आभारी हूं वर्मा जी का जो इन्होंने यह प्रस्ताव रखा । चीनी मिल मालिक कहता है कि हम 26 रुपया देंगे तो आप कहते हैं नहीं 22 रुपया दो । वह कहता है कि 9.0 तक हम 30 रुपए देंगे, इस साल भी उस ने 27 रुपये देने के लिए कहा था, आपने नहीं दिया । क्यों भाई ? देने वाला कहे कि हम अधिक देंगे लेने वाला कहे कि हम अधिक लेंगे और बीच का दलाल कहे कि हम उतना नहीं देंगे ।

श्री चित्त बसु (पश्चिमी बंगाल): क्या गवर्नमेंट दलाल है ?

श्री राम नरेश कुशवाहा : हां दलाल है। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर मिल मालिक के कहने के बावजूद भी दाम नहीं मिलता। देने वाला तैयार है कि इतना देगा, लेने वाला तैयार है कि हम उतना लेंगे और बीच का दलाल कहता है कि नहीं देने देंगे। मिल मालिकों ने कहा कि 50% लेवी फ्री कर दीजिये तो कर दिया आपने। उन्होंने कहा कि पांच रुपया चीनी का दाम कर दो तो आपने 4.85 कर दिया। जब हम कहते हैं कि दाम इतना दे दो तो आप दाम उतना नहीं देंगे। क्यों? जब आपने सारी बात मिल मालिकों की मान ली लेकिन जब हम को दाम देने के लिए कहा तो उसको क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, इसलिए कि उसमें कमीशन खाना है, मोटा हिसाब जोड़ लीजिए 4.85 के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 240 हो जायेगा। कुल मिलाकर चीनी पर, इसके एक क्विंटल पर मिलता है 590 रुपया, वह 95 हो जायेगा अगर 85 का जोड़ें, हमने 80 पर ही तोड़ा था हमें मालूम नहीं था । मान लीजिये लगभग 600 रुपये, क्योंकि हम मिल मालिकों की फ्री चीनी का दाम 7 रुपया मान रहें हैं, जब कि बाहर चले जाइये तो 10 रुपये से कम नहीं मिलती है हम 7 रुपये मानकर चलते हैं तो भी 37 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम होगा । 37 रुपये क्विंटल आज के दाम से है उसमें शीरा, कुइया इन-सबको छोड़ दीजिए, किसी का दाम मत जोड़िए । अगर इन सबको जोड़ दीजिएगा तो 40 रुपये क्विंटल दाम हो जायेगा । कोई माई का लाल हिसाब करके बता दे कि इससे कम होगा फिर हम मान लेते हैं कुछ रिश्वत खाने के लिए कमीशन खाने के लिए लोगों को छूट देनी चाहिए क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता तो 35 रुपये ही सही । लेकिन 35 पये से कम देने का क्या तर्क है, कौनसा तर्क है यह कोई माई का लाल बताये

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि और गन्ने का मामला बड़ा ही टेढ़ा मामला है यह सन् 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस का चुनाव फंड बना हुआ है। हर चुनाव के समय एक वर्ष पहले गन्ने का दाम कम किया जाता है, चीनी का दाम बढ़ाया जाता है और यह आज तक निरन्तर चल रहा है। इसी का नतीजा है कि जिस साल गन्ने का दाम कम कर दिया जाता है गन्ने का उत्पादन कम हो जाता है, हर चुनाव के दूसरे साल गन्ने का अकाल पड़ता है चीनी का उत्पादन कम होता है। फिर उसके बाद सामान्य हो जाता है, फिर तीसरे साल बढ़ जाता है फिर दाम घटा करके फिर 5वें वर्ष लाकर वही कर दिया जाता है, यह क्रम लगातार चल रहा है। आजादी के बाद किदवई साहब खाद्य मंत्री थे, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था जिसे किदवई फार्मूला कहते हैं कि जै रुपये मन चीनी तो आना मन गन्ना। यह केवल दो साल दिया। तब तक चुनाव आ गया। झट से गन्ने का दाम दो रुपये से घटाकर एक रुपये पांच आने कर दिया। तब से यह दुर्गति चली आ रही है, तब से कभी भी वह सिद्धांत लागू नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पहले चीनी के दाम का 66 प्रतिशत तक किसानों को गन्ने के दाम में मिल चुका है अब यह घटते-घटते 42-43 प्रतिशत पर आ गया है। आखिर क्यों? सबकी मंहगाई, सबका खर्चा बढ़ रहा है, किसान का घट रहा है। दुनिया में कहीं भी 50 परसेंट से कम किसान को नहीं मिलता है चीनी के दाम में, फिर हमें क्यों कम देते हैं? क्या तर्क है इसके पीछे। माननीय, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात चलती है। मैं क्या कहूं। बहुत पहले जब कंट्रोल बहुत ज्यादा था तो एक कहावत हमारे यहां प्रचलित हो गयी थी कि सरकार जो चीज छू दे वह तुरंत दूर हो जाये मिले नहीं बाजार में, गायब हो जाये एक बुढ़िया को सिर में दर्द था, रास्ते से एक कांग्रेसी जा रहे थे तो बुढ़िया ने उनको रास्ते में रोक लिया... (**व्यवधान**) आप सुन लीजिए। और कहा कि बबुआ मैं मर रही हूं मेरे सिर में बहुत दर्द है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। तो नेता जी से बुढ़िया ने कहा कि आप लोग जो ही चीज छू देते हैं वही गायब हो जाती है इसलिए मेरे सिर को छू दीजिए, मेरा दर्द गायब हो जायेगा। ठीक वही हालत चीनी उद्योग की है सारा जो उद्योग हाथ में लेते हैं, सब में घाटा ही घाटा लगता है। पता नहीं क्यों उसी को जब व्यक्तिगत मालिक चलाता है प्राइवेट सेक्टर में चलाता है, तो लाभ होता है। जैसे रोडवेज है, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो रो न रही हो कि रोडवेज हम चलाते हैं और घाटा होता है और प्राइवेट ओनर जो बस चलाता है वह हर दूसरे साल एक बस खरीद लेता है, क्या बात है?

बिरला का थर्मल पावर स्टेशन रेणुकूट में जो है, उसकी केपेसिटी कुल क्षमता 90 मेगावाट की है, पर वह 120 मेगावाट पैदा करता है। हमारी बिजली की क्षमता पहले थी 3000 मेगावाट पर कभी भी 700-1000 मेगावाट से अधिक पैदा नहीं हुई और अब तो केपेसिटी बढ़ गई होगी। यह बोझा किस पर जाता है? यह सारा बोझा हमारे ऊपर पड़ता है। उसी तरह से यह मिल-मालिक का किसने मुनाफा बाहर जाने दिया, किसकी वजह से उन्होंने मुनाफ कमाया किसने उन पर निगरानी नहीं रखी और आज जब मिलें कबाड़ हो गईं तो कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर लें।

मैं निश्चित राय का हूं कि मिलों को अगर मिल-मालिक बेचे तो कबाड़ का दाम नहीं देंगे (**समय की घंटी**) आप ऐसी मिलें लेकर चला नहीं सकते इन सारी मिलों में से सारे पुरजे हर चीज जितना लेकर बह जा सकते थे वह सारे के सारे लेकर जा चुके हैं और आपके यहां तो सब से बड़ी दिक्कत यह है कि इतना ज्यादा लफड़ा है कि एक पुरजा खराब जाए, तो नौ आदमी उसके जिम्मेदार हैं किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं है और उसे मंगवा कर के लगवायेंगे नहीं या वहीं कारीगरों से बनवायेंगे नहीं, सीधा बम्बई जाएगा या जहां कहीं से पुरजा मिलता होगा वहां से आएगा तब वह

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

बनवायेगा। तब तक मिल बंद पड़ी रहेगी। प्राइवेट मिल-मालक का पैसा नहीं रहता। हमने एक उद्योग चलाने वाले से पूछा कि भाई यह बतायें कि आपका मिल क्यों निरन्तर चलता है, मुनाफे से चलता है और हमारा सरकारी मिल क्यों घाटे में चलता है?

उसने कहा कि आपके ही मजदूर से हम काम करवाते हैं। जब पुरजा बनवाना होता है, तो सरकारी मजदूर को ही ले जाते हैं, वह छुट्टी ले लेता है और आकर हमारे कारखाने में उसको फिट कर देता है और हम तुरन्त उसको फिट करवा लेते हैं। जब भी हमारे कारखाने में ऐसी जरूरत पड़ती है, तो वह फिट नहीं करता है नौकरशाही की वजह से, कोई दूसरा, तीसरा इधर से उधर हो जाता है। (**समय की घंटी**) तो मैं आपसे कहूंगा कि बजाय कबाड़ बिठाने, खरीदने और कबाड़ का राष्ट्रीयकरण करने के, आप योजनाबद्ध तरीके से नई मिलें बिठाइये। (**समय की घंटी**) अगर आप पुरानी चीनी मिलें लेते हैं, तो अधिग्रहण तब कीजिये, जब एक मुनाफा कमाने वाला मालिक जिसकी दूसरी मिल है, वह उसको ले ले। अगर आप यह करेंगे, तो कोई बीमार नहीं करेगा मिल को, लेकिन अगर आप केवल बीमार मिल को ले लेंगे और उस पर सरकार सारा खर्चा करती चली जायेगी, तो इससे कोई मिल मालिक आपको बख्शने वाला नहीं है और सारा मुनाफा दूसरी जगह ले जायेगा तथा मिल को बीमार करके आपके गले में मढ़ देगा।

कोआपरेटिव मिलें हैं, अब महाराष्ट्र की मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कोआपरेटिव नाम---एक वह कपार रोटी---कपार चरुअन होता है और सारी मालिक सरकार बनी हुई है। नौकरशाही के चलते कोई कोआपरेटिव उत्तर प्रदेश में सफल नहीं है, सारी की सारी असफल हैं। (**समय की घंटी**) क्या आज तक एक भी मिल का चुनाव हुआ है? क्या बोर्ड आफ डाइरेक्टर्ज हैं?

क्या आज तक किसी भी मिल में किसानों को कोई बोनस दिया गया? कुछ नहीं।

एक माननीय सदस्य: मजदूर को भी नहीं दिया जाता है।

श्री राम नरेश कुशवाहा: मजदूर तो ले लेगा। किस मजदूर ने मांग की थी कि हमको बोनस दे दिया जाये, क्लर्कों ने कभी बोनस मांगा था इस सरकार से? क्यों दे दिया है बोनस? किस सरकारी कर्मचारी ने मांगा था कि हमको पांच दिन का हफ्ता दे दीजिये? क्यों दे दिया? असल में—

रहिमन चाक कुम्हार का
मांगे दिया न दे,
और छेद में डंडा डाल कर
चाहे नाम ले ले।

महोदया, उद्योगों के मजदूर संगठित हैं, क्लर्क संगठित हैं, सरकारी कर्मचारी संगठित हैं, इसलिये उनकी नाजायज मांगें भी न मानने में आप देरी नहीं करेंगे। लेकिन किसान और खेत मजदूर रोज मरता है और उसकी जायज से जायज मांग भी आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

उपसभापति: आप समाप्त कीजिये।

श्री राम नरेश कुशवाहा: मैं समाप्त कर रहा हूं। यही वजह है कि इसी अन्याय की वजह से इस देश में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि जब तक हिंसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी मांग मानी नहीं जायेगी, क्योंकि आज तक सरकार ने यही उदाहरण सामने रखा है। आन्ध्र प्रांत तब तक नहीं बना जब तक कि श्री पुट्टी रामलू 60 दिन तक अनशन करके मर नहीं गये और वहां के लोगों ने कांग्रेसियों को मारना-पीटना शुरू नहीं

कर दिया, और उनके घर फूंकना शुरू नहीं कर दिया, रेल तार काटना नहीं शुरू कर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात तब तक नहीं बने जब तक वहां की सड़कें लाशों से पट नहीं गयीं। द्विभाषिक बम्बई को छोड़कर संयुक्त महाराष्ट्र में आन्दोलन चला, सत्याग्रह हुए, प्रदर्शन हुए। तब तक बात नहीं सुनी जब तक कि बम्बई की सड़कें लाशों से पट नहीं गयीं। अभी बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में तब कम हुआ है जबकि तीन आदमियों की जानें ले ली गयी हैं। आपने आदत डाली है कि जब तक हिंसा नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। महोदया, यह परम्परा बदलनी चाहिये तथा इस देश में किसानों और मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभापति महोदया, इस सदन में हमारे बुजुर्ग मित्र माननीय वर्मा साहब ने जो प्रस्ताव रखा है यह हमारी सरकार की जो चीनी के बारे में नीति है उस पर काफी टीका - टप्पणी करते हुए भी इन्होंने किसानों की जो अहम समस्या है उसको सदन के सामने रखा है। इसलिये यह जो चीनी उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है और खास करके मैं महाराष्ट्र से आता हूं आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कपास के बाद गन्ने के किसान बड़े पैमाने पर हैं, बहुत सी चीनी मिलें हमारी महाराष्ट्र में हैं और उनकी काफी समस्यायें भी हैं। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने इस सदन में कई बार ऐसा प्रस्ताव रखा था कि महाराष्ट्र के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं विदर्भ है, मराठवाड़ा है, कोंकण है वहां पर चीनी की जो रिकवरी है शुगर की जो रिकवरी है शुगरकेन में उसके बारे में अलग-अलग जोन बनाए गए। मुझे बड़ा खुशी है कि हमारी सरकार ने इस विनती को मान दे कर अलग-अलग जोन बनाए इसलिए मैं सरकार का इस सदन के माध्यम से अभिनन्दन करना चाहता हूं विशेषकर हमारे मित्र गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारे ही क्षेत्र से आते है और उनको सारी समस्यायें मालूम हैं और उन्होंने काफी दिलचस्पी लेकर इन समस्याओं को हल किय है। उपसभापति महोदया, सहकारी क्षेत्र में महाराष्ट्र में काफी चीनी मिलें हैं। नई चीनी नीति जो बनी है उसके अनुसार सरकार ने यह तय किया है कि दो हजार पांच सौ मीट्रिक टन हर दिन कैपेसिटी वाली ही चीनी मिलें बनानी चाहिएं और उस वजह से महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। इस नीति को बदलने के लिए हमने काफी बार सरकार से विनती की है। हमारे शिष्टमण्डल भी मिले हैं प्रधानमंत्री तक भी गए हैं। क्योंकि सहकारी क्षेत्र में अगर कोई कारखाना लगाना होता है साढ़े बारह सौ टन कैपेसिटी का पहले की जो नीति थी उसके हिसाब से दस से ग्यारह करोड़ रुपये लगते हैं और किसानों के दस प्रतिशत शेयर होते हैं। इसका मतलब है कि किसानों को एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना पड़ता है। महाराष्ट्र के सहकारी बैंक और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं वे भी किसानों की मदद करना चाहती हैं और कैसा भी करके वे अपने शेयर तुरन्त जमा करते हैं। अभी ढाई हजार टन कैपेसिटी के बनने की वजह से ढाई तीन करोड़ रुपया किसानों को जमा करना पड़ता है। कोई भी किसान कहीं भी क्षेत्र का हो ढाई या तीन करोड़ रुपया शेयर के लिए इकट्ठा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आर्थिक कुव्वत उतनी नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस नीति को बदला जाए और साढ़े बारह सौ टन की कैपेसिटी की शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में लगाने के लिए तुरन्त इजाजत दीजाए। ....(व्यवधान) मैं यही बात आपको दोहराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में और एक लाख टन गन्ना होना चाहिए। आप यह जानते होंगे कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और देश के एक पूज्य नेता वसंतराव दादा पाटिल ने जब महाराष्ट्र क्षेत्र में चीनी मिल लगाई, उस वक्त

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव]

उस क्षेत्र में यह काफी गन्ना नहीं था, लेकिन आज जो सांगली का सहकारी क्षेत्र का चीनी कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है और हर रोज वह 9 हजार से 10 हजार बेग शुगर पैदा करता है । उनका मतलब यह नहीं कि पहले उतना सारा रा-मेटेरीयल तैयार हो, फिर उसकी जांच हो, फिर उसमें एक कमेटी जाय और फिर वह जो हमारे ब्यूरोक्रेसी आफीसर हैं उसके बारे में फैसला करें । यह बात गलत है । अगर चीनी मिल ही नहीं है तो किसान गन्ना क्यों लगाएगा ? और अगर गन्ना लगाता है और गुड़ का कम भाव मार्केट में आता है तो उससे किसानों को नुकसान होता है इसलिए वह गन्ना नहीं लगा सकता । सिर्फ देखना यह है कि उस क्षेत्र में उतनी कपेसिटी है या नहीं ? उतनी पोटेंसियल है या नहीं ? इन बातों को पहले तय करना चाहिए उसके बाद हम एक और चीज दोहराना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के केन्द्र सरकार के पास करीब-करीब 60 प्रकल्प पड़े हुए हैं, जिनको अब तक मंजूरी नहीं मिली ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं उप-सभापति महोदया, कि इस राज्य सभा का मदस्य होने के बाद एक साल में मैंने भी एक चीनी का प्रकल्प तैयार करके सन् 1983 में दिया था, आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ । उसमें कभी कोई राजनीतिक रोड़ा आ जाता है, कभी कोई दूसरा आ जाता है । राजनीति करने के बावजूद भी हमारे कोई काम नहीं होते . . (**समय की घंटी**) . मैं तो पांच मिनिट ही बोला हूं और आपने तो मुझे 15 मिनिट दिए हैं।

उपसभापति : हमें यह आज ही खतम करना है न.....

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : मैं अभी खतम करूंगा, अपने समय का जरूर पालन करूंगा ।

तो यह महाराष्ट्र के जो प्रकल्प सारे पड़े हुए हैं केन्द्र के पास, हमारे मंत्री महोदय जो महाराष्ट्र से आते है, मैं इनसे विनती करता हूं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग मुझे पता नहीं इस साल में हुई या नहीं, साल-साल होती नहीं तो उसको जल्दी लिया जाय, पड़े हुए प्रकल्प तुरन्त ही मंजूर किए जांय इसमें कोई राजनीतिक बात आनी नहीं चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे विदर्भ और मराठ-वाड़ा के जो प्रकल्प हैं, उनको पहले मंजूर किया जाय क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र की तुलना में विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत ही शुगर फैक्टरी कम हैं और वहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है । ए ी-गेशन डेम बहुत बन रहे हैं और वहां की जमीन बहुत अच्छी है, फर्टाईल लैंड है और इस लिहाज से उसको सोचते हुए जितने भी हमारे प्रकल्प पड़े हैं, मैं यह नहीं कहता कि मेरा कोंजिए और दूसरों का नहीं लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा के जो प्रकल्प हैं, उनको जल्दी से जल्दी क्लीयर किया जायें । इससे हमारे कृषि औद्योगिक विकास में काफी सुविधा हो जायेंगी । मैं दूसरी एक बात कहना चाहता हूं उस सभापति महोदया, हमारे महाराष्ट्र में सहकारी जो क्षेत्र है, वह काफी अच्छा चलता है, कई राज्यों में यह अच्छा नहीं चलता । मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सहकारिता में काम करने के लिए प्राशिक्षण प्रक्रिया इस देश में शरू कि जाए, महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत के सारे हिस्सों में, इससे सहकारी क्षेत्र में उद्योग आ सकते हैं । देश में सही तरीके से एक औद्योगिक इनका विकेन्द्रीयकरण हो सकता है । जो हमारे नेताओं ने सपना देखा था इस देश में कृषि, औद्योगिक समाज व्यवस्था निर्मित होना चाहिए, उस लिहाज से सोचने के बाद अगर सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे , केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी, उसकी कोई अच्छी तरह से शिक्षा देंगे, तो सहकारी क्षेत्र अच्छी तरह से बढ़ेगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा खण्ड-प्राय देश है । यहां अलग-अलग एग्रो-क्लाय-मेटिक दृष्टि से अलग-अलग क्यालमेट हैं, मेट्रोलोजिकल डिवीजन हैं और इनके कारण हमारे यहां फसले आती हैं, अलग-

अलग क्रोप आती हैं और आज भी इसमे महाराष्ट्र में गन्ना अच्छा होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं अच्छा होता है, दक्षिण में अगर चावल अच्छा आता है या नारियल अच्छा आता है तो जिस क्षेत्र में जो क्रोप या फसल अच्छी आती है वहां उसी को बढ़ावा देना चाहिए । उसके साथ-साथ मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल हमारे महाराष्ट्र में जो पानी के बारे में पालिसी बन रही है, आठ माही या चार माही, इससे मुझे समझ में नहीं आता बिना पानी के फसल कैसे आ सकती है । हमें यह समझना जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल अच्छी तरह से होना चाहिए वेरटेज नहीं होना चाहिए, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंवलर सिस्टम, इरीगेशन की जो एडवांस टेकनोलोजी है उसमें इस्तेमाल किया जाए । मगर चार महीने पानी देना बाकी महीने पानी न देना, आठ महीने पानी देना बाकी महीने पानी न देना मैं इस नीति को होशियारी या समझदारी की नीति नहीं कहता । अगर चार महीने खाने को दिया जाए और आठ महीने भूखा रखा जाए तो आदमी कैसे जी सकता है । हम यह ज र कहेंगे कि चार महीने खाने को दीजिए और कहिये कि आठ महीने खाते रहिये, यह कै Utility of the food should be there. Likewise utility of the water should be there.

यह चार महीने पानी, आठ महीने पानी की नीति हमारे किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए अत्यन्त खतरनाक है । इसको पूरी तरह से गौर करना चाहिए । मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को कहना चाहता हूं कि वहां ऐसी नीति न लाई जाए और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट आफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन के तरीके है उनकी तरफ ध्यान दिया जाए जिससे पानी की समस्या हमारे सामने पैदा न हो ।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर हमें गन्ने की खेती में प्रोफिट कमाना है, फायदा कमाना है तो हमें उस को सपोर्ट प्राइस देना चाहिए । जब तक हम कॉस्ट आफ प्रोडेक्शन पर आधारित प्राइसेज नहीं देते तब तक हमारी खेती की समस्या कहीं से भी हल नहीं होती । अगर मार्किट में जायेंगे तो एक काकडा, ककड़ी जो कुकुचर होता है उसमें 99 प्रतिशत पानी होता है वह 10 रुपये किलो मिलेगी । कच्चा टमाटर बाजार में लेने जायें तो इसकी कीमत भी 15 रुपये किलो से कम नहीं है । अगर हम अंगूर खरीदने जायेंगे तो 32 रुपये किलो दिल्ली की मार्किट में मिलेंगे और जब हम चीनी खरीदने जायेंगे तो 5 रुपये से 10 पैसे भी ऊपर भाव हो गये तो सारे देश में हाहाकार मच जायेगा कि चीनी के भाव बढ़ गये । जिसमें कि 99 परसेंट पानी होता है उसके लिए हम 15 रुपये, 20 रुपये किलो दाम देने को तैयार हैं और वह शुगर जिसमें 100% concentrates उसको पांच रुपये से ऊपर खरीदने को तैयार नहीं है । मैं कहता हूं कि सारी दुनिया में 10 रुपये किलो के नीचे चीनी का भाव कहीं नहीं है । इस लिहाज से सोचा जाय कि हमें कास्ट आफ प्रोडेक्शन पर आधारित किसानों को कीमत देनी चाहिए तो हमें इस नीति को बदलना चाहिए और लोगों को भी कहना चाहिए कि हमें एक प्राइस पैरिटी चाहिए और उसी लिहाज से चीनी का भाव बढ़ाना चाहिए । जब तक हम 300 रुपये प्रति टन गन्ने का भाव किसानों को नहीं देंगे तब तक हम किसानों में परिवर्तन नहीं ला सकते । इसी तरह से हमारी नीति बनाई जानी चाहिए और इसी लिहाज से किसानों की समस्या सुलझानी चाहिए । आपने मुझे इस मौके पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हुं । मैं कहता हूं कि 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं बोला हूं । जो मैंने आपसे कहा था उसका मैंने पालन किया है ।

SHRI CHITTA BASU: I think the House will be grateful to my esteemed colleague, Shri Virendra Verma, for bringing forward this resolution which

[Shri Chitta Basu]

concerns millions of agriculturists in our country and lakhs of workers engaged in the sugar industry. I think the House will recall the importance of this industry viz. the sugar industry, which happens to be a traditional agro-based industry in our country.

If you study the development of industrialisation of our country, you would agree that there are certain agro-based traditional industries which constituted industrial base of our country. In this respect sugar industry is one, textile industry is another and jute industry of our country happens to be yet another. So far as as the sugar industry in our country in concerned, we can understand its importance from economic and fiscal point of view also. As per the information available with me it is found that sugar industry's contribution to the Union and State exchequer is approximately Rs. 400 crores. Therefore, from the point of view of States or Union Government exchequer this industry occupies a very important position in our country. Madam, you would also agree with me that there are more than 3.5 lakh workers engaged in jute industry. So far as farmers are concerned, the Government should take note of the fact that it is the single largest crop in our country. It is even more than our total food production. The total average food production is around 150 million tonnes. So far as sugarcane production is concerned and as far as my information goes, it has touched 170 million tonnes. Therefore, from that point of view the sugar industry and sugar production is very important in our country and important for our national economy. There are about 362 sugar factories and all these are known. But two important issues are involved in this Resolution. One is the remunerative price for the sugarcane. In that case many hon. Members have given the argument substantiating the charge that the Government policy in matter of fixing the prices of sugarcane has harmed, prejudiced the interest of farmers. This is one of the basic reasons of instability in the sugar industry itself. It does not only harm the economy of the country but it also harms the very industry itself. Because of the availability of sugarcane the production has gone up. So I do not require time to explain as these are all known to them. So far as sugar industry problem is concerned, they are well known to the Government. As far back as 1965, Madam, there was one Enquiry Commission under the Chairmanship of Mr. Sen, that is, called Sen Enquiry Commission on Sugar Industry. That Commission has comprehensively dealt with the problem of the industry and also with the sugarcane. Therefore, my complaint or charge against the Government is they have not given full consideration of the very, very valuable report, very valuable recommendation of the Sen Commission. Madam, I do not like to point out certain important recommendations. Anyway these recommendations are known to them and it was submitted in the year 1965. Even after the lapse of 20 years the problems of the industry have not been sorted out, have not been solved, rather the problem has been further complicated.

Madam, sugar industries have also been affected by sickness. Now, in this respect also I want to raw the attention of the hon. Minister to the report prepared by the Reserve Bank of India regarding the reasons and causes for the incidence of sickness in sugar industry. That report was submitted to the Government in October, 1985. Madam, I would only request that the Government should pick up the report and find out what were the recommendations in the Reserve Bank of India report on the incidence of sickness in sugar industry. Now some piecemeal measures are being taken. Soft loans are generally advanced and that does not fill the gap much. It is the mill owners who take advantage of those soft loans and ultimately they eat it away and the sickness is not removed. I would only refer to one administrative problem. Now, some of my friends sitting opposite mentioned about the multiplicity of the Government Departments in the administration of Sugar

and Sugar industry. It is found that Ministry of Food and Civil Supplies, Agriculture, Finance, Ministry of Chemicals and Fertilizers, all combine together for the administration of this industry.

Madam, in case of Textile Industry although various departments are concerned, it has been brought under the administrative control of one Ministry, that is the Ministry of Textiles. I also recommend that in case of sugar, the administrative Ministry should be a separate one and there should be a separate Ministry or Department which may be called the Ministry of Sugar and Sugar Industry. Many have spoken about the plights of the agriculturists but none has mentioned about the plight of the workers engaged in the sugar industry. As I have mentioned, I shall take only two minutes. I have mentioned that 3.5 lakh of our workers are engaged in this industry. The Government, of late, has set up or appointed a Wage Board and the Wage Board has given certain recommendations and the workers representatives in that Wage Board have given dissent to the recommendations made by the Wega Board and now it is well known to the hon. Minister that it is ultimately the Government which decides upon the award of the Wage Board. I would only take this opportunity to request the hon'ble Minister and draw the attention of the Ministry of Labour that the recommendations made by the Wage Board or Sugar Industry has recommended something which goes against the interest of the workers engaged in the industry. The Government of India should take proper steps so that the workers' interests are not jeopardised and the workers representatives in the Wage Board are given full consideration and the report should be modified in that light so that the workers can derive the benefit of that Wage Board's decision. Lastly, to solve the age long problem, persisting problem, both for the farmers and the industrial workers, the Government should take up the proposal of nationalization of the industry. In this respect, I would only submit that Bhargava Committee recommended for the nationalization of the sugar industry and I feel that will be only panacea for the ills which have been afflicting this industry. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI CHITTA BASU: In order to sort out the problem once and for all,

डा० रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदया, आपका मैं हृदय से आभारी हूं कि जो आपने मुझ को माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर माननीय सदन में चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है । मैं उनकी कुछ बातों पर सहमति परन्तु कुछ पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सर्वप्रथम मैं श्री वीरेन्द्र वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने अपने इस संकल्प के माध्यम से भारत के गन्ना कृषकों की ओर माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । उन्होंने सरकार के संबंध में जो कहा है उस पर मेरी असहमति और जो गन्ना कृषकों के हित में कहा है उस पर मेरी पूर्ण सहमति है । महोदया, श्री वर्मा जी ने जो कहा है उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं : "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा घोषित नयी चीनी नीति न तो गन्ना उत्पादकों और न ही उपभोक्ताओं के हित में है ।" मैं श्री वर्मा जी के इस कथन में सहमत नहीं हूं । माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि कभी-कभी एक पक्ष के प्रति अधिक आग्रह के कारण दूसरे पक्ष के साथ दुराग्रह हो जाता है । महोदया, कांग्रेस पार्टी जो सतारूढ़ दल है उस ने अपने एक सौ वर्षों के इतिहास में सदा ही कृषकों के हितों को ध्यान में रखा है । कांग्रेस के महान नेताओं आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, आदरणीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी तथा आदरणीय राजीव गांधी जी ने सदैव ही कृषकों एवं गन्ना कृषकों के हितों की चिंता की है तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया है ।

[डा० रूद्र प्रताप सिंह]

महोदया, मैं श्री वर्मा जी के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं जिसे मैं उद्धृत करता हूं :- "सहकारी चीनी मिलों का स्वामित्व शेयरधारियों (गन्ना उत्पादकों) का तत्काल अन्तरित किया जाना चाहिये" उचित यह होगा यदि सरकारी क्षेत्र की की मिलें अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न कर रही हों तो उस में सुधार किया जाए यदि स्वामित्व में परिवर्तन आवश्यक हो तो उन्हें सहकारी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाए ।

आदरणीय वर्मा जी की इस बात से मैं सहमत हूं जिसे मैं उद्धृत करता हूं : "लाभ को प्रति वर्ष शेयरधारियों में वितरण किया जाना चाहिये"

वास्तव में यह समस्या अत्यंत गम्भीर है । अतएव इसका शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिये ।

महोदया, जहां तक चीनी मिलों की स्थापना का प्रश्न है उस में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस भूमि पर गन्ने का उत्पादन अधिक हो सकता है । मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि नये एककों की स्थापना के समय आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अंचलों को प्राथमिकता प्रदान की जाना चाहिये ।

महोदया, मैं श्री वर्मा जी के इस कथन से सहमत हूं जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"देश में समस्त पुरानी और अप्रचलित चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए । और उसे तत्काल लागू किया जाना चाहिये" और "जिन क्षेत्रों में गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम तथा अन्य विकास गतिविधियों सिंचाई, सड़कों के निर्माण, नालियों की व्यवस्था आदि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिये" गन्ना उत्पादन में वृद्धि के हेतु उपयुक्त परिस्थितियों एवं वातावरण का निर्माण आवश्यक है । महोदया, गन्ना उत्पादकों के द्वारा जो गन्ने का उत्पादन किया जाता है जो चीनी के रूप में सम्पूर्ण राष्ट्र के नागरिकों के प्रयोग में लाई जाती है अतएव गन्ना कृषकों का और विशेष रूप से ध्यान किया जाना चाहिये । गन्ना कृषकों की अनेक समस्यायें है जिनमें गन्ना उत्पादन कार्य में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप लागत में निरंतर असाधारण रूप से वृद्धि के फलस्वरूप तथा उनके द्वारा उत्पादित गन्ने के मूल्य के भुगतान की अनेक समस्याऐं जैसे उचित मूल्य का न प्राप्त होना, यथासमय मूल्य का प्राप्त न होना आदि आदि । महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार गन्ना कृषकों की समस्याओं की ओर सजग है और सचेष्ट है । आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें उचित मूल्य पर साधन उपलब्ध कराए जाएं साथ ही यथासमय उचित मूल्य दिलाया जाएं ।

महोदया, अंत में कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं पिछड़े क्षेत्रों की मिलों की सेवाओं में सुधार किया जाए । साथ ही निजी क्षेत्र में चल रही मिलें जो जान-बूझ कर गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं करता है उनका अधिग्रहण कर के सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाए । मेरा विश्वास है कि हमारी जनप्रिय सरकार गन्ना कृषकों की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देगी तथा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे गन्ना उत्पादकों तथा चीनी के उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा हो सके ।

अंत में मैं एक रूबाई पढ़ कर अपनी बात को समाप्त करूंगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे ।

मसायब से उलझ कर मुस्कराना मेरी फितरत है,,
मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता
निगाहें जिनकी जम जाती हैं मुस्तकबिल के चेहरे पर,
उन्हें माज़ी की बेरहमी को दोहराना नहीं आता।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam Deputy Chairman, I am grateful to the honourable Members for giving me an opportunity to explain and clarify the salient features of the recently announced long-term Sugar Policy.

I am also especially thankful to the Members for expressing their views in very unequivocal terms and also for the various constructive suggestions that they have made and I would like to say that the Government would always welcome positive and constructive suggestions which would help in the more efficient management of the sugar economy in the interest of the sugarcane growers, consumers and the sugar-producing units.

Before I go into some of the specific points raised by the honourable Members, I would like to give a little background.

Members would recall that it was under the leadership of our late beloved Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, that this country emerged as the largest cane sugar-producing country in the world in 1981-82 and 1982-83 when our production had exceeded 8.4 million and 8.2 million tonnes respectively. The years of plenty of sugar production led to increased consumer consumption and despite the decline in production in the next two seasons due to widespread drought and adverse agro-climatic factors, this Government had ensured that sugar was available at a reasonable price. When it was seen that the vested interests had tried to reap unjustified gains by speculation and hoarding, the Government had resorted to imports to the extent necessary in order to keep the overall availability of this essential commodity at a reasonable level and at a reasonable price to the consumers. This is to illustrate how this Government has acted with responsibility, both in times of plenty and in times of reduced production. It is needless for me to refresh the memories of the honourable Members of the House as to what happened in 1977-78 when the Government of the day was unable to handle the situation of plenty and decided to decontrol this essential industry which led not merely to a serious setback to the industry, but also to the millions of the farmers. Our memories are fresh with the instances of large-scale cane-burning which had taken place in the heartland of sugarcane cultivation, namely, Uttar Pradesh, Bihar and other places. The consumers' so-called benefit of low prices was very very shortlived because he was forced to pay as high a price as Rs. 10 to Rs. 12 per kilo in 1980-81 because production had declined subsequent to the decision to decontrol.

I am obliged to relate these facts only to clarify the concern shown by this Government which, by contracts would go to show our genuine concern for all sections of the economy. Notwithstanding the decline in sugar production due to adverse agro-climatic conditions, this Government had protected the consumers with a more stable price. We have also, in the last two years, started the announcement of the sugarcane price in advance of the sowing season which would infuse a greater degree of confidence in the minds of the farmers so that they can be assured of the statutory floor price for their produce. The Government has announced the Long-Term Sugar Policy for the first time and its decisions have basically been prompted by its genuine concern not merely to harmonise the interests of the concerned, namely, the consumers, the sugarcane growers and the sugar producers, but also to regulate, if not eliminate, the wide fluctuations which had marked both sugarcane and sugar production in the past. This Long-Term Policy, which would be applicable during the Seventh Plan period, indicates the general directions of the Government's thinking and should assure the various interests concerned of the stability of the policy. In fact the impact of these positive policy measures in the last two years are already visible.

Sugar production which had declined to 59.16 lakh tonnes in 1983-84 and had hovered around 61.4 lakh tonnes in 1984-85 crossed the 7 million tonnes mark in 1985-86 and in the current season it is expected to cross 8 million tonnes, that is, an increase of 31 per cent in two years, and I dare say that this record of pro-

[Shri Ghulam Nabi Azad]

duction perhaps has not been achieved by any industry in such a short period. The last two years have also been marked by a relatively stable price level for the consumers, especially in terms of open market sugar prices. The variation in sugar prices during the last years has been almost insignificant, being minus one per cent.

Yet another important development that has taken place has been the payment of sugarcane prices to the growers. I am happy to inform the House that perhaps in the last one decade sugarcane price arrears are the lowest, Shri Vermaji had in fact expressed concern about the possibility of sugarcane price arrears increasing substantially even before the end of April, 1987. Bhagatji had immediately clarified the position on that day itself with reference to the factual position as obtaining on 15th March, 1987. The factual position as on 31st March, 1987 indicates that of the total payable cane price of Rs. 1527 crores, Rs. 1370 crores have already been paid and only Rs. 23 crores remained payable to the farmers after the grace period of 14 days. The Union Food Minister has written to the Chief Ministers of various States requesting them to personally eversee and monitor the problem of payment of sugarcane prices to farmers and many have postively responded to his request. I have also been taking up this matter during the course of my visits to the various State capitals. Hon'ble Members will appreciate that insuring timely payment of sugarcane prices is the primary responsibility of the State Government but the endeavours made by the Central Government have helped in the speedy clearance of cane price dues. With this favourable trend I am sure our sugarcane farmers would increase both production as well as productivity. I am grateful to Shri Shanti Tyagi, who had also confirmed that the clearance of cane price dues the season in the State of Uttar Pradesh had been much better than in the past. I am confident that things will only improve for the better from now onwards.

One aspect of the sugar policy which unfortunately does not seem to have found favour with many of the Hon'ble Members is the minimum economic size of the newly proposed sugar units. I am a little distressed by the general diffidence and lack of confidence displayed by some of the Hon'ble Members in our farmers to rise to new challenges. As Hon'ble Members are aware the Government has continued its favourable treatment of the co-operative sector in the matter of licensing new units. The record achievements of the co-operative sugar movement are well known. Members will agree with me that the first co-operative sugar unit, which was startd in Maharashtra, with an initial capacity of 800 tonnes . has expanded to the size of 4000 tonnes. Many of the co-operatives in Maharashtra, Gujarat and elsewhere in the country have diversified their activities besides increasing their sugar production capacity from time to time. The Hon'ble Members will also agree that no industrial venture can be started without due regard either to availability of raw material or economic feasibility of the project. The Resolution proposed for adoption by Shri Vermaji itself underlines the need for ensuring adequate availability of raw materials and also indicates minimum size of plant of about 1500 to 1800 tonnes cane crushing per day. Shri Vermaji has also indicated that the distance between the new factory and the existing one should not be less than 25 Kms. We have reatedly clarified in both the Houses that the capacity of 2500 tonnes have been determined so as to facilitate the optimising of the economies of scale of production as well as the incorporation of modern technology.

The Government is committed to having a vibrant and resilient sugar economy and only an economic and viable unit can be the cornerstone of such a policy. The very fact that many Members have talked about a particular size as well as the need for a certain discipline in respect of spatial distance between an existing and a new factory underlines the commonality of approach to this problem. As far as I see there is some diffe-no

only in details due to the perceptions and none of fundamental nature. The Government's decisions have been guided by expert and professional adice in this regard, and I am confident that this decision will serve the country well and should be given a fair trial. Yet another concern expressed by some Members related to apparent lowering of the levy proportion of the total sugar production. I wish to inform the hon. Members that the Government had changed the levy to levy free ratio after having increased the total annual levy requirements to be supplied by the sugar factories by an additional three lakh tonnes. Hon. Members are already aware that levy sugar quotas have been revised upwards with effect from 1st February, 1987 for the projected population as on 1.10.1986. In addition to this increased supply of levy sugar, there has also been an increase in the supply of free sale sugar in the open market and this increased availability has led to stability in sugar prices. Members may recall that prices had tended to increase in July/August, 1985 which situation was brought under control effectively in a very short time, and since then sugar prices, by and large, have remained below Rs. 7 per kg. in almost all parts of the country. With the increased production trend, prices have further softened and the wholesale prices ranged from Rs. 605 to Rs. 645 per quintal as on 5th of May, 1987 as against the range of Rs. 685 to Rs. 800 in July, 1985.

I wish to assure this House that The Government would continue its vigilance on the price front and would ensure that the sugar prices are kept at reasonable levels to the consumer as well as to the industry. Sugar prices which do not take into account the cost of production will be ultimately detrimental to the interest of the growere as the ability of the factory to pay the cane prices would get eroded. If hon. Members see the declining trend of sugarcane price arrears in the context of stable sugare prices, they will have to concede that the Government has managed the sugar economy judiciously and has not compromised the interests of any of the parties concerned.

I am sure, the above background would have made it abundantly clear that the Government's decision has been guided only by its aim to maximise the common good of all concerned. Its policy has taken into account not merely the reality of the situation but also has the benefit of the expert advice which should help in bringing about greater improvement and overall stability. I refute with all the emphasis at my command the allegations made and would say that we have not been guided by any single sectarian interest as some hon. Members have just now mentioned. In fact, hon. Members of this House who are in the Consultative Committee of the Ministry of Food and Civil Supplies will acknowledge that there was a detailed discussion of the sugar policy in its different aspects in June 1986. There has also been the required inter-departmental discussion and final decisions have been taken at the appropriate levels.

Hon. Members had indicated that the policy is not in the interest of cooperatives. I would like to recall here that the apex bodies of sugar units, both in the cooperative and joint stock sectors, have welcomed the policy pronouncements. There has been a favourable response in the media also. But above all, we are gratified by the physical and factual results in the form of increase in production. There is a decline in the sugarcane price arrears to the growers and relatively stable prices for the consumers. I would also like to inform the Members that in the last two months, we have not only received a number of applications for expansion, but we have also received 19 applications for setting up of new units with the capacity of 2500 tonnes, of which 13 are from the cooperative sector and the remaining from joint stock sector, from the States of U.P., Punjab and Tamil Nadu.

I would now like to react to some of the specific issues raised by the hon. Members. Hon. Members S/Shri Virendra Verma, Kalpath Rai, Shanti Tyagi and some other Members have expressed their grave misgivings about the adequacy of cane price fixed as well as the methodology of such price fixation. As the hon.

[Shri Ghulam Nabi Azad]

Members are aware, the Government of India fixes only the statutory minimum price of sugarcane which is more in the nature of a floor price which ensures the farmers a minimum price and protects him from the exploitation in times of plentiful cane production. Normally period of excess sugarcane production are periods when the khandsari and jaggery manufactureres either desert the sugarcane farmer or exploit him totally. It is to prevent this contingency that the Government of India assures the farmer of a minimum floor price which is based on the analysis and recommendations made by the expert professional body, namely, Commission for Agricultural Costs and Prices. Some hon. Members had expressed their concern about delay in appointment of farmers' representatives on this body. You may be knowing that the Agriculture Ministry is basically dealing with this Commission. But for the information of hon. Members, I may say that I will definitely bring this to the notice of the hon. Agriculture Minister. The Commission for Agricultural Costs and Prices fixes the price of any agricultural commodity by applying scientific methods. There was a mention by hon. Vermaji that scientific method should be applied. It is not in the nature of a ready reckoner as suggested by Vermaji. The Kidwai formula which was also mentioned by Kushwahaji might have had its relevance and use in the early fifties when there was no professional agency to advise the Government. When we have a full professional body dealing wih the issues in an adequate manner, we should be a little cautious before we condemn their recommendations wholesale. However, I have already clarified that the statutory minimum price is only the floor price, whereas, in practice, as the hon. Members are aware, the farmers receive much higher price on the advice of the State Governments. The statutory minimum price has gone up by Rs. 3 per quintal in the last two years. The price has been enhanced further by Re. 1 per quintal, that is, to Rs. 18 per quintal for the next season. The total increase works out to about 28.5 per cent. The farmers are, at present, receiving on an average, Rs. 25-26 per quintal on an all-India basis and Rs. 29 for special varieties which need to be compared with Rs. 21-22 per quintal received by them three-four years back.

Some hon. Members suggested that the cane price should be increased to Rs. 40 per quintal. Such a price would not only distort the cropping pattern but would also substantially increase the issue price of the levy sugar. Even if it were to be paid as a State advised price, it would certainly distort the price equilibrium in the market, which would ultimately go against the interests of the consumers as well as the farmers. As I have already explained, the initiative taken by the Government in announcing a realistic statutory minimum price has led to the building of confidence of the farmers in the organised sector which has proportionately received more cane supplies in the last two years. I can assure that this Goernment would not be found wanting in protecting the interests of the farming community, but at the same time, it has to keep in view the interests of the millions of consumers in the country.

Hon. Members referred to the timely payment of cane price as well as payment of interest on cane arrears. I have already clarified in detail the position of cane price arrears as on 31.3.87. I hope, this would have shown you the overall position which has been relatively satisfactory compared to the earlier season. On the issue of ensuring timely payment of cane price as well as enforcing payment of interest on arrears, I have clarified that this is basically and primarily the responsibility of the State Governments. This is not to suggest that the Governments of India would not enforce the provisions of the Sugarcane Control Order. But I am only clarifying that this would be possible only with the active co-operation of the State Governments. The Union Food Minister has, in his letter to the Chief Ministers, reiterated the need to enforce the payment of Interest and some of the States have assured that they would be doing the needful.

On issues like increasing the statutory minimum price, ratio between levy and free sale sugar, granting of early and late crushing excise rebate, hon. Members have expressed some misgivings. I have already explained the relationship between the statutory minimum price and levy price, how the statutory minimum price serves more as a floor price to the farmers and how the actual price received by the farmers is much more. I have already indicated how despite the apparent lowering of the levy ratio to 50 per cent, our levy commitment has increased by an additional three lakh tonnes. Hon. Members have spoken in terms of 40 per cent levy and 60 per cent free sale. I wish to clarify that the Government does not propose to change the ratio as suggested by hon. Members.

Vermaji referred to the need for protecting the *kolhus* as they provide jobs to lakhs of people and he also said that the *kolhus* are now paying only Rs. 13-14 per quintal to the farmers.

The Government's policy is that it recognises the need for the three sweetening industries—gur, khandsari and sugar—to coexist. This year the sugarcane production is comparatively higher in U.P. and the crushers have resorted to paying lower prices to the farmers. It is only because of this that the Government have time and again insisted on the proper demarcation of cane areas as between sugar factories as well as power crushers/ kohlus operated areas. If the State Governments ensure adequate availability of the raw material to one and all by properly delimiting the zones, the problem of the type referred to by Vermaji would normally not arise.

Shri Vermaji had also suggested that the daily sugar production should be mortgaged to the banks and the millowners should inform the cooperative societies and the District Magistrate about the money received so that there is no malpractice in the cane price payment. Generally, for your information, the sugar factories pledge the sugar stocks with the commercial banks who provide them with credit facility against the value of such stocks. But where the financial health of the mill is weak, the banks do not provide the entire credit required by the sugar mill. Therefore at times there has been a gap in the credit availability which leads to delayed payment to the growers. The credit policy is decided by the Reserve Bank of India and the problems of the type referred to by Vermaji are on unit to unit basis. In such cases in States like Uttar Pradesh, the Cane Commissioner and his staff or the District Magistrate has to closely monitor the payments position. However taking into account the fact that only Rs. 2.2 crores are payable as overdues to the farmers in the State of Uttar Pradesh, out of the total Rs. 485 crores, beyond 14-day period, this would indicate that the problem has been minimal during this season.

Shri Vermaji and Shri Vikalji referred to the unsatisfactory functioning of the sugar cooperatives in Uttar Pradesh. I wish to clarify that the organisation and management of the sugar cooperatives is purely the responsibility of the State Government. On an earlier occasion Vermaji had made the same suggestion in writing to our Ministry which had been forwarded to the State Government of Uttar Pradesh. As far as the Union Government is concerned, it is in favour of democratising the cooperatives and in this regard the Prime Minister has reiterated our stand in a letter addressed to the Chief Ministers in the beginning of March, 1987.

Some hon. Members have rightly emphasised the need for sugarcane research and development—and Vermaji especially. We have two central institutions—e.g. The Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore and the Indian Sugarcane Research Institute Lucknow which, under an all-India coordinated project for the improvement of sugarcane, operates through a number of centres located in different sugarcane growing areas in the country and has been conducting research on the various aspects of sugarcane production like varietal improvement, crop management, including assessing the irrigation requirements of the crop, crop protection and harvest and post-harvest handling of the crop. It

[Shri Ghulam Nabi Azad]

would be incorrect to say that there has been no impact of sugarcane research in the North as the very transformation of the sugarcane scene in the Punjab in the last four or five years will contradict such a statement. Sugarcane productivity in Punjab has increased from 39 tonnes per hectare to 62 tonnes per hectare, and recovery has likewise increased from eight per cent to 10.6 per cent at present. Likewise there has also been improvement in the recovery in Haryana as well as western Uttar Pradesh. We are, however, not fully satisfied with the changes that have taken place in the sub-tropical areas and we have requested the ICAR to draw up specific problem-solving schemes especially relevant to the conditions prevailing in Uttar Pradesh, Bihar, Haryana and other areas.

Members have also dwelt on the need to modernize the sugar industry and also step up sugarcane development activities. About 180 sugar factories out of the total 376 installed factories are more than 25 years old and of these, 75 sugar factories have capacities below 1,250 tonnes. These factories are required to be modernized and expanded to viable capacity keeping in view the availability of sugarcane. The Union Government have requested the State Governments to undertake pilot studies in respect of two or three such units in their States and prepare detailed, time-bound, proposals for restructuring and improving the productivity of these units. The units can obtain assistance from soft loan schemes operated by the IFCI for modernization and rehabilitation. To facilitate and speed up this process, the Government are also advancing loans on soft terms from the Sugar Development Fund and so far seven units have received Rs. 6.25 crores as loan assistance. Honourable Members have also referred to the need for ensuring that the amounts are properly spent and I wish to make it clear that the projects assisted by the Department of Food will be physically inspected and verified to check the proper utilization of the loans. I am also happy to inform the House that loans on soft terms from the Sugar Development Fund have been given to 39 units during the financial year which ended on 31st March 1987, totalling Rs. 21.73 crores. The current year's budget allotment is about Rs. 45 crores in respect of assistance for sugarcane development and all eligible applications will be considered on merits and according to priority.

Honourable Members have also made some plea for the nationaliaztion of the sugar industry. At the outset I wish to clarify that nationalization is only a means to an end and not an end by itself. As honourable Members are aware, 256 factories out of the total 376 factories are either cooperative or public sector units. Thus the control of the farmers or the State Governments is more than 68 per cent of the total number of units which, in terms of production capacity, works out to the 52.60 lakh tonnes out of the total installed capacity of 76.92 lakh tonnes. Viewed in this background it will be aparent that full-scale nationalization of the sugar industry is neither desirable nor a pressing public need and it is also not compatible with the concept of mixed economy which we are pursuing in our country.

The aim of the Government should be to ensure, through its policies, the efficient running of the sugar industry and the various steps which I have already outlined earlier would go to show how the Government has been sparing no efforts in improving the performance of the industry.

With regard to problems arising out of gross mismanagement of the industrial units in the private sector, adequate powers are available to the State Governments and the Central Government for the temporary takeover of the management of such units under the provisions of the IDR Act. Instances of gross misuse of office can also be dealt with under the provisions of the company law. I am sure the hon. Members would have brought to the notice of the Company Law Affairs Department such instances of abuse of office already.

Whenever the occasion demands, the State Governments have been resorting to nationalisation. In view of this, there appears to be no special reason why Government of India should also step in.

There have been suggestions that the sugar mills should have distilleries attached with them so that molasses can be properly utilised by them. This suggestion was made, I think, by Kalpnath Raiji. The question of diversification of the industrial units will depend totally upon the will and the capacity of the owners to invest in such ventures. Already about 68 sugar mills have attached distillery units in the country. Many co-operative units in Maharashtra and in other States have gone in for paper making and certain other chemical industries as well.

Some hon. Members have also referred to the disparity in molasses prices as between the sugar-factory molasses and khandsari molasses. The Department of Chemicals and Petro-chemicals is considering a long-term policy in respect of molasses and other allied issues, and I would request the hon. Members to forward this suggestion to the concerned Ministry.

I think most of the points I have, in general, covered. I think the hon. Member who moved this Resolution wanted some specific answers for his specific questions which he has put in his Resolution.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : सब दे दिये है कोई जरूरत नहीं ।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभापति महोदया, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हुं । (व्यवधान) जैसे उन्होंने कहा, खाद्य मंत्री जी भगत जी ने भी कहा, आपने भी कहा उसके बावजद क्या असर हुआ है किसानों का बकाया लौटाने में, यह आप स्पष्ट रूप से बताएं जो दो करोड़ आपने यू.पी. का बताया वह सही नहीं है मैं बतलाता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं ब्याज किसानों को कहां दिया गया, यह मांग की थी (व्यवधान) किस फैक्टरी ने किसान को दिया है (व्यवधान) ब्याज के बारे में बताएं (व्यवधान)

उपसभापति : वह तो जनरल सब बता दिया है (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : ब्याज के आकड़े तो मेरे पास नहीं है लेकिन जैसे आपने फरमाया (व्यवधान) मैं ओवर ड्यू के बारे में बतलाऊंगा । 1986-87 में 31 मार्च को हमारे जो एरियर्ज थे 158 करोड़ के (व्यवधान) 1983-84 के मुकाबले में उस वक्त यह 175 करोड़ था बल्कि 176 करोड़ था तो उसके मुकाबले में आज 158 करोड़ है (व्यवधान)

श्री राम नरेश कुशवाहा : यह बता दीजिए कितना ब्याज दिया गया है किसानों को (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no, nobody is allowed. Only Mr. Virendra Verma. Let him reply now.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: A pont of order, Madam. You allow me half-a-minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. The other Resolution has to come.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Unless this Resolution is finished, how can the other Resolution come? I have my one question. Only half-a-minute, you must allow me. What is this?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not must.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Why not must?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot force the Chair to allow you, you know.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I member has every right to ask his question. आप सारे लोगों को एलाउ करती हैं मुझे क्यों नहीं करती हैं :

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav]

मेरा सवाल यह है कि अभी मंत्री महोदय ने जो कहा है कि 2500 टन की परमिशन दे रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि सहकारी क्षेत्र में शुगर फैक्ट्रीज को साढ़े 1200 टन की परमिशन देने की नीति पर क्या सरकार विचार करेगी । यही मेरा प्रश्न है । इसके बारे में जवाब दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं इसका जवाब चाहता हूं ।

उपसभापति : इसका जवाब आ गया है, आपने सुना नहीं । मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है ;

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उन्होंने बदलने के बारे में जवाब नहीं दिया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं बता देता हूं इनका जवाब जो कुछ भी है ।

माननीय डिपटी चैयरमैन महोदया, जो प्रस्ताव गन्ना उत्पादकों के संबंध में मेरे द्वारा पेश हुआ था, इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों ने उसमें बहुत रूचि ली, बहुत सुझाव दिये और माननीय मंत्री जी ने भी उनके विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार विस्तार के साथ उसका जवाब हमें दिया । माननीया, मैं चंद बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । माननीया, यह देश संसार का 25 फीसदी गन्ना उत्पादित करता है, संसार का 25 प्रतिशत इस देश का गन्ने का क्षेत्र फल है, तब भी हम विदेशों से चीनी का आयात करें, यह हमारे लिए लज्जा की बात है । मेरा पहला सुझाव है माननीय मंत्री जी को या गवर्नमेंट को कि यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम विदेशों से चीनी का आयात नहीं करेंगे (व्यवधान) हमने दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी पैदा की 81-82 में, 82-83 में, हमने फारेन एक्सचेंज अर्न की विदेशों को चीनी भेजी । इसलिए मेरा पहला सुझाव है कि किसी भी कीमत पर हमारा यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम विदेशों से चीनी का आयात नहीं करेंगे बल्कि हमारे देश के यह सम्मान के विपरीत है कि गन्ना उत्पादक देश होते हुए हम विदेशों से चीनी मंगाये ।

दूसरा माननीया मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय चीनी आयोग हो, यह इस वजह से हमने सुझाव दिया है क्योंकि इस देश में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनमें शुगर, नम्बर दो का उद्योग है और इसी हिसाब से चलता रहा तो कुछ ही समय हिंदुस्तान का नम्बर एक का शुगर का उद्योग होगा । कभी चीनी का उत्पादन बहुत अच्छा है, कभी चीनी का उत्पादन गिर जाता है, कभी भाव बहुत बढ़ जाता है कभी कंज्यूमर की कमर टूट जाती है, कभी इतनी कम होती है कि हमें विदेशों से चीनी का आयात करना पड़ता है रिसर्च के ऊपर भी, साइंटिफिक बैसिस पर भी चीनी की कीमत मुकर्रर हो, गन्ने की कीमत मुकर्रर हो और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय चीनी आयोग की स्थापना आवश्यक है यह मेरा सुझाव है ।

तीसरा, मूल्य फिक्सेशन है । मेरी साइंटिफिक बेसिस है कि गन्ना चीनी का कांस्टीट्युएंट है और जब चीनी की कास्ट निकाली जाती है तो गन्ने की कास्ट उसमें जोड़ी जाती है कि इतनी गन्ने की कास्ट है, यही साइंटिफिक बैसिस है । जिस हिसाब से चीनी की कास्ट आफ प्रोडक्शन में मेन कांस्टीट्युएंट की कास्ट आप जोड़ते है उसी के आधार पर आप गन्ने की कीमत निर्धारित करें । इस आधार पर आप सोचिएगा ।

आपने यह कह दिया कि किदवई साहब का फार्मूला बहुत पुराना था कि जितने रूपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना । मान लीजिए हम भी मानते हैं कि जितने रूपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना । इसमें क्या दिक्कत आती है ।

मेरा फिर से सुझाव है कि आप इस पर विचार करें।

आपने कहा कि गन्ने की बकाया कीमत उत्तर प्रदेश की दो करोड़। दो करोड़ तो अकेले देवबंद की शुगर फैक्ट्री पर बकाया है, आप सारे उत्तर प्रदेश की कह रहे हैं। आपके पास हमसे ज्यादा आंकड़े हैं, आप कहते रहे। लेकिन मैं एक शुगर फैक्ट्री की बता रहा हूं दो करोड़ सहारनपुर की देवबंद मिल पर, उससे ज्यादा ही होगा। माननीया, मिलों को इतना मुनाफा हुआ अब की दफा—खतौली शुगर फैक्ट्री दोराला, म्वाना डिस्ट्रिक्ट मेरठ मुजफ्फरनगर की और सहारनपुर की नुकुर, मंगलौर तथा दूसरी जगहों से 8—8 रुपये क्विंटल फालतू देकर। इसका मतलब 25 रुपये गन्ने की कीमत है और 33 रुपये क्विंटल पर गन्ना क्रेश कर रहे हैं, तब भी मुनाफे पर हैं। पर किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मिल-मालिक आठ रुपये क्विंटल अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट चार्जेज देने के बाद भी मुनाफा कमा रहा है, पर आप किसान को देना नहीं चाहते।

फिर, मान्यवर, क्रशर के बारे में शिकायत है दस रुपये क्विंटल तेरह-चौदह रुपये क्विंटल पर हमारे यहां क्रेशर ने गन्ने की कीमत दी। हमारे देश के संविधान में समाजवाद की व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा है। किसान लुटे, मजदूर लुटे, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी को नहीं लुटना चाहिए, इस प्रकार का हमारा निश्चय है और अगर लुटे कहीं भी, क्रेशर वाले लुटें। बताओ जब मिल-मालिक 33 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत देकर मुनाफे में रह सकता है, दो दस रुपये गन्ने की कीमत देने वाला शाहजहांपुर में 12—13 रु० और मुजफ्फरनगर, मेरठ जिलों में 14 रुपये देने वाला कितना बड़ा मुनाफा कमा रहा है? क्यों गवर्नमेंट नहीं सोचती? इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

मान्यवर, गन्ने की कीमत जल्दी मिल जाए—अब की बार तो आप लोगों ने इतना मुनाफा दे दिया मिल-मालिकान को, इसलिए गन्ने की कीमत दे रहे हैं। पिछले वर्षों में क्यों नहीं देते। यह तो मुझे भी पता है कि शुगर की टैगिंग होती है बैंकों के साथ। वह जो आपने पढ़ कर बताया, मुझे सारी जानकारी है, लेकिन शिकायत इस बात की है कि जितनी शुगर प्रोडयूस होती है, पूरी की पूरी बैंकों के साथ टैग नहीं करते और अगर टैग करते हैं, तो पूरा कर्जा नहीं लेते, क्यों नहीं करजा लेते। क्यों कि करजे के ऊपर उन्हें सूद देना पड़ेगा। किसानों को सूद आज तक नहीं दिलवाया आपने। पन्द्रह फीसदी आपकी गारंटी है। आपने जो बफर-स्टाक की चीनी रखी थी। उस पर साढ़े उन्नीस फीसदी का सूद आपने मिल-मालिकान को दिलवाया। आपने मिल-मालिकान को बफर-स्टाक की दस लाख चीनी पर कोई 85 करोड़ रुपये दिलवाये और किसान को एक नया पैसा भी, एक पैसा भी नहीं, जहां आप 15 फीसदी की गारंटी करते हैं। एक फीसदी भी आपने किसी एक फैक्ट्रीज से किसी शुगर मिल से आज तक सूद नहीं दिलवाया।

इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि शुगर की टैगिंग को इन्शूर करें कि पूरी कर रहा है? वह पूरे का पूरा उसका करजा ले रहा है कि नहीं और जितना ले रहा है, वह पूरी किसानों के गन्ने की कीमत की पेमेंट कर रहा है कि नहीं? हमने जो सुझाव दिया था कि गन्ना सोसाइटी को और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को भी उसकी सूचना मिल जाए। आपने तो यह भी नहीं कहा कि यह ठीक है, हम मानते हैं, यह करेंगे। इसे आप मानियेगा। वह फिर बीच में बेईमानी नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट और गन्ना सोसायटी को इसकी सूचना दी जाए, जितना शुगर का टैगिंग होगा, उसका करजा लेना, उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट और कोआपरेटिव को दी जाएगी, उससे किसानों की पेमेंट शीघ्रता से होगी और अगर डिले करें, तो पेमेंट में अनिवार्यता उसका सूद दिलवाइयेगा। मान्यवर, जिन शुगर फैक्टरियों के ऊपर गन्ने की कीमत बकाया रह जाए, उनको ऐलान कर दिया जाए कि हम किसी प्रकार का

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

भी रिबेट नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का इनसेंटिव उन शूगर फैक्टरियों को नहीं मिलेगा जो किसान के गन्ने का पेमेंट प्राम्पट्ली नहीं करतीं। यानी वह पेमेंट भी न करें और इनसेंटिव भी प्राप्त करें और रिबेट भी इक्साईज की शुद्ध में भी और आखिर में आप देते रहें, तो यह घोषणा कर दीजिएगा कि जो किसान को प्राम्पट पेमेंट नहीं करेगा, उसको हम रिबेट नहीं देंगे, न उनको किसी प्रकार का कोई इनसेंटिव मिलेगा।

जहां तक कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज की बात है, माना कि वह स्टेट सबजेक्ट है, लेकिन यह शूगर इंडस्ट्री आपके कानून के मातहत चलती है। सारे हिंदुस्तान में जहां पर भी कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज हैं, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात, चाहे कर्नाटक है, आन्ध्र है, चाहे हरियाणा प्रदेश है और पंजाब सब जगह कोआपरेटिव शूगर फैक्टरियां अपने शेयरहोल्डर्ज को प्राफिट डिस्ट्रिब्यूट करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कोई प्राफिट डिस्ट्रिब्यूट नहीं होता। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्राफिट होने के बाद भी वह प्राफिट का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं करते और फंड बनाये हैं उस दिन माननीय मंत्री जी आप नहीं थे, फंड दो बनाए हैं। एक का नाम है नान रिफंडेबल डिपाजिट, ऐसा डिपाजिट कि जो रिफंड नहीं होगा और एक ऐसा डिपाजिट जिसे क्षतिपूर्ति कहें लास इक्वलाइजेशन फंड। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आठ शूगर फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ने टेकओवर की थीं जो लौटा दीं 35 करोड़ रुपया उन पर आपका था उसका इन्टरेस्ट भी आपने खत्म कर दिया कि नहीं लेंगे और बकाया दो-तीन साल बाद अदा कर दीजिएगा और कोआपरेटिव शूगर फैक्टरी के मुनाफे से आप नान रिफंडेबल डिपाजिट, लास इक्वलाइजेशन फंड यानी प्राइवेट फैक्टरी के लिए तो यह रियायत और जो कोआपरेटिव है उसके लिए यह, तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी मल्कीयत किसानों को दें उनका मुनाफा अनिवार्यतः बंटवायें, किसानों को शूगर भी दिलवायें। सारे हिन्दुस्तान की कोआपरेटिव फैक्टरीज गन्ना उत्पादकों को सप्लायी के आधार पर शूगर दिलवाती हैं। महोदय, कैशर और कोहन की बात आप कह ही चुके हैं। यह हमारा बहुत प्राचीन और ग्रामीण उद्योग है इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मिल मालिक यह कोशिश करते ही रहते हैं कि इन्हें हम समाप्त करा दें। ग्राम-उद्योग में इनके अलावा और कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए यह समाप्त नहीं की जानी चाहिए। जहां तक 15 सौ 18 सौ 25 सौ की क्रशिंग कैपेसिटी का प्रश्न है, मंत्री जी आप मुझे इजाजत देंगे अगर कोआपरेटिव शूगर फैक्टरी 11 करोड़ रु० की बनती है तो आप कहते हैं कि गन्ना उत्पादकों को चार करोड़ रुपये का शेयर खरीदना पड़ेगा, 25 सौ टन का और ज्यादा का खरीदना पड़ेगा और प्राइवेट मिलर्ज एक करोड़ की अंश पूंजी दिखलाते हैं तो उनको आप इजाजत दे देते हैं। आप ऐसा ही कर दीजिएगा 2500 टन की फैक्टरी खड़ी करने का एक करोड़ पर हमें भी 25 सौ मंजूर है। फैक्ट्रीज के आधुनिकीकरण की बाबत आपने ठीक कहा है, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि फैक्टरीज को जिनको ले लिया उन फैक्टरीज को माडर्नाइज करें और उनका आधुनिकीकरण करके ही उनको चलाएं तभी वे मुनाफे में जा सकती हैं, नहीं तो राष्ट्र का भी नुकसान है, उत्पादकों का भी नुकसान है, मजदूर का भी नुकसान है जो कि नहीं होना चाहिए। नई शूगर फैक्टरी के मामले में मैंने यह बताया है कि जैसा हमारे जिले हैं सौ-सौ वर्ष से वहां गन्ना है। सब जगह के लिए एक यार्डस्टिक नहीं हो सकती। सौ वर्ष से जहां गन्ना होता है, गन्ना ही गन्ना है हिन्दुस्तान में, हमारे जिले में जितना गन्ना है उतना कहीं भी नहीं होता एक अकेले जिले में इसलिए यार्डस्टिक बिल्कुल यह न करो कि चाहे गन्ना हो और, चाहे न हो सब जगह 40 किलोमीटर होगा इसलिए साइंटिफिक

बेसिस का आपका आधार रहना चाहिए गन्ने का आधार रहना चाहिए पोटेंशिएलिटी, जैसा कि माननीय जाधव साहब कहते हैं। मैंने जितने भी सुझाव दिए हैं बीइंग ए प्रैक्टीकल केन ग्रोअर एंड ए फार्मर यह सुझाव मैं आपके सामने रख रहा हूं इस आशा के साथ कि आप भी आपके कैबिनेट मंत्री जी भी इन सब बातों की तरफ, जो मैंने बताई हैं ध्यान देंगे और देश के हित में, उत्पादकों के हित में, उपभोक्ता के हित में, जनरल पब्लिक के हित में, देश की आर्थिक अवस्था और व्यवस्था के हित में मेरे इन सुझावों पर आप विचार करेंगे ? धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virendra Verma, are you withdrawing the resolution?.... (*Interruptions*).
I shall now put the resolution to vote... (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: I just thank the hon'ble Members and also Virendra Verma Ji and I think most of the thinks which he has already mentioned, जो बहुत सारी बातें बताई थीं कि इतने किलोमीटर में होना चाहिए वह तो आलरेडी हमने नई पालिसी में इनकार्पोरेट की हैं, बहुत सारी चीजें और इन्होंने बताई हैं, हम कंसलटेटिव कमेटी में हैं ही, उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है।

5.00 P.M.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मंत्री जी भी चाहते हैं, हां, मैं भी चाहता हूं कि मेरी बात के ऊपर सुझाव करें।

श्री गुलाम नबी आजाद : नहीं, कंसलटेटिव कमेटी में चर्चा करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : हां, उसमें भी करेंगे। फिर विचार आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद-ड्रा करता हूं।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the Special Mentions. Mrs. Shanti Pahadia. Before she speaks, with the permission of the House, may I request Shri Santosh Kumar Sahu to take the Chair?

[*The Vice-Chairman (Shri Santosh Kumar Sahu) in the chair*]

REFERENCE TO THE NEED TO IMPROVE AND STREAMLINE ROAD TRAFFIC TO PREVENT ROAD ACCIDENTS

श्रीमती शान्ती पहाड़िया (राजस्थान) : श्रीमन्, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बड़ी आभारी हूं और आपको धन्यवाद देती हूं। श्रीमन्, बंबई-हाइवे रोड जो है, उस पर रात्रि के समय ट्रेफिक काफी चलता है, वाहन ड्राइवर शराब पीकर ट्रक वगैरह चलाते हैं और जो सड़क पर छोटे वाहन कार, टैक्सी, स्कूटर आदि चलते हैं, उनको देखते भी नहीं हैं। इससे चार-पांच दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। मेरा सुझाव श्रीमन्, यह है कि ट्रकों का रूट अलग ही होना चाहिएं। दो रूट होने चाहिए, एक पर बस, स्कूटर, कार, टैक्सी आदि चलनी चाहिएं और दूसरे पर ट्रक ही चलें, जिससे यह रोजाना की सड़क दुर्घटना न हों।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, please call some Minister to be present here. There is no Minister present in the House to listen to our Special Mentions. We are crying in wilderness. Mrs. Pahadia is speaking and there is no one to take note . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): I entirely agree with you. I am sending word to the Minister of Parliamentary Affairs. Mrs. Pahadia, you may please continue with your Special Mention.